

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 10 नवंबर 2023
निर्णय उद्घोषित: 06 दिसंबर 2023

रि.या.(सि.) 2385/2020, सि.वि. संख्या 8341/2020, 54457/2022, 55432/2022 और 43467/2023

अल्केमिस्ट हेल्थकेयर लिमिटेड और अन्य

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री विक्रम चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री ऋषि सहगल, सुश्री मुस्कान खुराना और सुश्री निकिता गिल, अधिवक्तागण

बनाम

भारत का संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री कीर्तिमान सिंह, कें.स.स्था.अधि. के साथ सुश्री विधि जैन, सुश्री नूपुर ग्रोवर, श्री अक्षय कुमार सिंह, श्री कार्तिकेय यादव, श्री पंकज मोहन और श्री लक्ष्य, अधिवक्तागण, भारत का संघ/ गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय के लिए।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री. यशवंत वर्मा

निर्णय

1. नौ याचीगण, जो अल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के घटक हैं, ने **गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय** द्वारा जारी दिनांकित 21 दिसंबर 2018, 20 मार्च 2019 और 13 जून 2019 के समनों को आक्षेपित किया है, जिसमें उन्हें **कंपनी अधिनियम, 2013** की धारा 212 के तहत जांच शुरू करने और इसके संबंध में एक जांच अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित किया गया है। याचीगण ने प्रत्यर्थागण को आक्षेपित समन के अनुसार आगे की कार्यवाही करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की रिट जारी करने की भी मांग की है।

2. चुनौती अनिवार्य रूप से याचीगण के प्रतिविरोध पर आधारित है कि चूंकि पूर्ववर्ती **कंपनी अधिनियम, 1956** के तहत कार्यवाही अधिनियम 2013 की धारा 212 के प्रवर्तन से पहले शुरू की गई थी, इसलिए प्रत्यर्थागण को धारा 212 के तहत नए सिरे से कार्यवाही शुरू करने की अधिकारिता से वंचित कर दिया गया है। यह भी प्रतिविरोध किया गया है कि अधिनियम 1956 के प्रावधानों को 30 जनवरी 2019 को अधिनियम 2013 की धारा 465 के सक्रिय होने पर ही केवल निरसन किया गया था। इस आलोक में यह आग्रह किया गया था कि चूंकि अधिनियम 1956 के प्रावधान कम से कम 30 जनवरी 2019 तक बने रहे, इसलिए अधिनियम 2013 की धारा 212 के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती थी। यह चुनौती मुकदमेबाजी के पहले दौर में पारित निर्णय और आदेशों पर भी आधारित है जिसे **अल्केमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड**, द्वारा स्थापित किया गया था, और याचीगण का प्रतिविरोध है कि उन रिट याचिकाओं पर पारित आदेशों के आधार और **लैटर पेटेंट अपील** को उनके संबंध में को दयार किया गया था, प्रत्यर्थागण को अधिनियम 2013 के तहत न केवल ए.आई.आर.एल. के खिलाफ बल्कि वर्तमान रिट याचिका में अन्य याचीगण के खिलाफ भी कोई कार्यवाही शुरू करने से रोक दिया गया है।

3. उठाई गए चुनौती का मूल्यांकन करने के प्रयोजनों के लिए, हम निम्नलिखित आवश्यक तथ्यों पर ध्यान देना उपयुक्त समझते हैं।

4. 27 मार्च 2012 को **रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज** ने ए.आई.आर.एल. को संबोधित संचार से अधिनियम 1956 की धारा 234 की उपधारा (1) और (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना मांगी थी। उक्त पत्र के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने 24 अगस्त 2012 को क्षेत्रीय निदेशक को संबोधित एक और पत्र लिखकर अधिनियम 1956 की धारा 235 के तहत जांच शुरू करने की सिफारिश की थी।

5. उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने 05 नवंबर 2012 को ए.आई.आर.एल. के मामलों की जांच शुरू करने का निर्देश दिया। चूंकि केन्द्रीय सरकार के पूर्वोक्त निर्णय का उन मुद्दों पर कुछ असर पड़ेगा जो इस रिट याचिका पर हमारे विचार

के लिए संयाचना किए गए थे, इसलिए हम इसे इसी प्रकार नीचे उद्धृत करना उचित समझते हैं:-

“संख्या 04/59/2012 – सी-II (एनआर)

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां मंजिल, “ए” विंग, शास्त्री भवन,
डॉ. आर. पी. रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 05वां नवंबर, 2012

आदेश

जबकि केन्द्र सरकार को कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 235 के अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 234(6) के अंतर्गत कम्पनी रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के आधार पर किसी कम्पनी के कार्यों की जांच करने का आदेश देने तथा कम्पनी के कार्यों की जांच करने के लिए निरीक्षकों के रूप में एक अथवा अधिक सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली ने कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 234(6) के तहत केन्द्र सरकार को प्रस्तुत दिनांक 24 अगस्त, 2012 की अपनी रिपोर्ट के तहत कंपनी अर्थात् मैसर्स अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड के कार्यों की जांच की सिफारिश की है।

3. अब, इसलिए, अधिनियम की धारा 235 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उपर्युक्त कंपनी के के मामले, की जांच का आदेश देती है, जिसे गंभीर कपट अन्वेषण अधिकारी के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें इस तरह की जांच के उद्देश्य से निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता है:

1. श्री पी.आर. लाकड़ा, अपर निदेशक
2. श्री आर.के. मिश्रा, वरिष्ठ सहायक निर्देशक
3. श्री प्रेम सुन्दर सिंह, सहायक निर्देशक

4. इस आदेश द्वारा उपर्युक्त कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त निरीक्षक, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत उन्हें उपलब्ध सभी

शक्तियों का प्रयोग करेगा। निरीक्षक अपनी जांच पूरी करेगा और इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन (3) महीने की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

5. यह आदेश केन्द्रीय सरकार के लिए और उसकी ओर से जारी किया गया है।

(आर.के. बख्शी)

उप निदेशक

आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई प्रति:-

1. निदेशक, एस.एफ.आई.ओ., नई दिल्ली
2. श्री पी. आर. लाकड़ा, अपर निदेशक
3. श्री आर.के. मिश्रा वरिष्ठ सहायक निर्देशक
4. श्री प्रेम सुन्दर सिंह, सहायक निदेशक”

6. इस बीच, ए.आई.आर.एल. ने इस न्यायालय के समक्ष 2012 की रि.या.(सि.) संख्या 7529 को संस्थित किया है, जिसमें दिनांकित 27 मार्च 2012 के आर.ओ.सी. के संसूचना को चुनौती दी गई। जबकि उक्त याचिका पर विचार करते हुए, न्यायालय ने 04 दिसंबर 2012 को यह प्रावधान किया कि ए.आई.आर.एल. के लिए कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने और आर.ओ.सी. के लिए उस पर कार्यवाही करने के लिए उपलब्ध होगा, कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा। इसके बाद दिनांक 14 दिसंबर 2012 को, निरीक्षक की कार्यवाही ने केन्द्रीय सरकार के 05 नवंबर 2012 के आदेश के आधार पर ए.आई.आर.एल. को एक नोटिस जारी किया जिसमें जांच के प्रयोजनों के लिए सभी अभिलेख तलब किए गए।

7. दिनांकित 14 दिसंबर 2012 की संसूचना को 2012 की रि.या.(सि.) संख्या 8065 को एक अलग याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। न्यायालय ने, जबकि दिनांक 07 मार्च 2013, को उपर्युक्त रिट याचिका पर नोटिस जारी करते हुए उपरोक्त संसूचना के संचालन पर रोक लगा दी।

8. उन दो रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, दिनांकित 25 अक्टूबर 2018 को आर.ओ.सी. द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अधिनियम 2013 की धारा 210 के तहत ए.आई.आर.एल. को छोड़कर अल्केमिस्ट ग्रुप की सभी कंपनियों के संबंध में जांच शुरू करने की सिफारिश की गई थी।

9. इस रिपोर्ट के बाद दिनांकित 6 दिसंबर 2018 को एक आदेश आया, जिसके माध्यम से प्रत्यर्थागण ने अल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ अधिनियम 2013 की धारा 212 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के कथित प्रयोग में एक जांच शुरू की। दिनांकित 06 दिसंबर 2018 के केन्द्रीय सरकार के आदेश को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

“एफ. संख्या 7/217/2018/सी.एल.-1 आई (एन.आर.)

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

महानिदेशक कार्यालय (कॉर्पोरेट मामले)

कोटा हाउस

1, शाहजहां रोड,

नई दिल्ली-11,0001

दिनांकित: 6.12.2018

आदेश

1. जबकि, केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 (ग) के तहत कंपनी के मामलों की जांच का आदेश देने के लिए सशक्त हो।
2. और जबकि, केन्द्रीय सरकार ने अल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज अर्थात् अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, अल्केमिस्ट लिमिटेड, अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड, अल्केमिस्ट रियल्टी लिमिटेड, अल्केमिस्ट लाइफ साइंस लिमिटेड, नेटेज टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, अल्केमिस्ट कैपिटल लिमिटेड, अल्केमिस्ट होटल्स रिसॉर्ट्स लिमिटेड और उनके सहायक /अतिरिक्त या कोई अन्य कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(1)(ग) अल्केमिस्ट ग्रुप से

- संबंधित है/ अल्केमिस्ट ग्रुप का हिस्सा है। के मामलों की जाँच का आदेश देने की राय बनाई है।
3. अब, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(1)(ग) के तहत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने एतद्वारा अल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसे अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, अल्केमिस्ट लिमिटेड, अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड, अल्केमिस्ट रियल्टी लिमिटेड, अल्केमिस्ट लाइफ साइंस लिमिटेड, नेटेज टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, अल्केमिस्ट कैपिटल लिमिटेड, अल्केमिस्ट होटल्स रिसॉर्ट्स लिमिटेड और उनके सहायक/अतिरिक्त या किसी अन्य कंपनी जो अधिनियम, 2013 की धारा 212(1)(ग) जो अल्केमिस्ट ग्रुप से संबंधित है/ का हिस्सा है। के मामलों की जाँच का आदेश देने की राय बनाई है।
 4. कि केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को उपर्युक्त कंपनियों के मामलों की जांच में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(1) के तहत निरीक्षक (ओं) को नामित करने के लिए अधिकृत करती है। उक्त जांच निदेशक, एस.एफ.आई.ओ. द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
 5. कि इस प्रकार नियुक्त निरीक्षक जहां कहीं आवश्यक हो, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 217 के तहत उसे उपलब्ध सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 219 के तहत प्रदत्त शक्ति भी शामिल है। निरीक्षक जांच पूरी करते हैं और 03 (तीन) माह की अवधि के भीतर केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
 6. यह आदेश केन्द्रीय सरकार के लिए और उसकी ओर से जारी किया गया है।

एस.डी.
(वी.आर.शेठ)
सहायक निदेशक

सेवा में:

1. निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, दूसरी मंजिल दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
 2. आर.ओ.सी., दिल्ली
 3. आर.डी. (एन.आर)
 4. गार्ड फाइल।”
10. उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, एस.एफ.आई.ओ. ने दिनांक 14 दिसंबर 2018 को अपने चार अधिकारियों को अपेक्षित जाँच करने के लिए नियुक्त किया। तत्पश्चात और दिनांक 21 दिसंबर 2018 को प्रत्यर्थी संख्या 2 से 9 को समन देना जारी किया गया।
11. इस बीच रिट याचिकाओं को 07 फरवरी 2019 को निम्नलिखित शब्दों में एक सामान्य आदेश द्वारा अनुमति दी गई: -

“9. उपरोक्त बातें कहने के बाद भी, यह न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि याचिकाकर्ता कंपनी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। याचिकाकर्ता कंपनी को आरोपों के बारे में विधिवत सूचित कर दिया गया है कि उसने भूमि/प्लॉट/अवसंरचना के विकास आवंटन के लिए जनता से धन स्वीकार किया और दायित्व का उन्मोचन करने में विफल रहा था। यह भी अभिकथित है कि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा एकत्र किया गया धन याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा सामूहिक निवेश योजना शुरू करने की राशी है।

10. याचीगण की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वाधवा ने यह भी स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता कंपनी को **हार्डिकॉन लिमिटेड** (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में सुनवाई का अवसर दिया जाता है।

11. पूर्वोक्त पाठ्यक्रम इस न्यायालय की सिफारिश करता है। तदनुसार, दिनांक 27.03.2012 के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। यह निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान याचिकाओं को कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा एक प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाएगा, जो याचिकाकर्ता कंपनी को सुनवाई वहन किए जाने का अवसर प्रदान करेगा। याचिकाकर्ता कंपनी अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से 22.02.2019 को दोपहर 2:00

बजे और यदि आवश्यक हो, तो रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित बाद की तारीखों पर कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होगी। पक्षों को सुनने के बाद, रजिस्ट्रार याचिकाकर्ता कंपनी को आवश्यकतानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बुलाने का आदेश पारित कर सकता है। रजिस्ट्रार याचिकाकर्ता कंपनी के तर्क पर भी विचार करेगा कि क्या अधिनियम की धारा 234(1) के प्रावधान लागू होते हैं।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता है, तो याचिकाकर्ता कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर सभी जानकारी प्रस्तुत करेगी। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, तो रजिस्ट्रार अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रदान की गई ऐसी दंडात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र है।

13. चूंकि, यह विवादित नहीं है कि अधिनियम की धारा 235 के तहत याचिकाकर्ता कंपनी के मामलों की जांच करने का निर्देश देने वाला दिनांक 05.11.2012 का आदेश और निरीक्षकों की नियुक्ति करने वाला दिनांक 14.12.2012 का आदेश भी अधिनियम की धारा 234(7) के तहत पारित आदेशों का पालन करता है, इसलिए उक्त आदेश भी अपास्त किए जाते हैं यह प्रत्यर्थी संख्या 1 को रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट या जनहित में याचिकाकर्ता कंपनी के मामलों की जांच का निर्देश देने से नहीं रोका जा सकेगा।”

12. ऐसा प्रतीत होता है कि ए.आई.आर.एल. ने अंतिम निर्णय में विद्वान न्यायाधीश द्वारा प्रविष्ट की गई टिप्पणियों से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण को अधिनियम 1956 के अनुसार या वैकल्पिक रूप से अधिनियम 2013 के तहत दंडात्मक कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता दी है, इसने 2019 के ले.पे.अ.189 के माध्यम से अंतिम निर्णय में निहित उक्त निर्देशों पर आक्षेप किया है। उपरोक्त ले.पे.अ. का निपटान 18 मार्च 2019 को खंड न्यायपीठ के साथ निम्नानुसार किया गया:-

“श्री राजीव नायर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, उपरोक्त प्रावधान के आधार पर, मामले की तहकीकात या जांच कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 234 और 235 के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए, न

कि कंपनी अधिनियम, 2013 में विहित नियम या प्रक्रिया के अनुसार। हम देखते हैं हमने देखते है की पूर्वोक्त प्रतिविरोध में बहुत बल है

इसलिए, हम स्पष्ट करते हैं और निर्देश देते हैं कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विचारित प्रावधानों के अनुपालन में सख्ती से विद्वान रिट न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में जाँच की जाए। पक्षकार संसूचना या प्राप्त शिकायतों के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत मामले की जांच करने वाली वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष जैसा कि स्वीकृत है सभी आपत्तियां को उठा सकते हैं।”

13. जबकि चीजें यहीं समाप्त हो गई थीं, दिनांक 18 मार्च 2019 को और वास्तव में, उसी दिन जब ले.पे.अ. का निपटारा किया गया, तो आर.ओ.सी. ने अधिनियम 2013 की धारा 206(4) के प्रावधानों को लागू करते हुए ए.आई.आर.एल. को 27 मार्च 2012 और 06 जुलाई 2012 के पहले के संसूचना के संदर्भ में आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा। ए.आई.आर.एल. ने उपरोक्त कार्यवाही का स्पष्ट रूप से इस आधार पर विरोध किया कि ले.पे.अ. में निर्णय ने प्रत्यर्थीगण को 1956 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छोड़कर कोई भी कार्रवाई करने से प्रतिबंधित कर दिया। इस तरह इसने उस आधार पर सवाल उठाया जिस पर 2013 के अधिनियम और इसके प्रावधानों को इसके खिलाफ लागू करने की मांग की गई थी।

14. उपरोक्त विवाद इस न्यायालय के समक्ष रखा गया, जिसमें ए.आई.आर.एल. ने अपील के निपटारे में 2019 की सि.वि.आ.16956 दायर की। उपरोक्त आवेदन के लंबित रहने के दौरान, एस.एफ.आई.ओ. ने 20 मार्च 2019 को याचिकाकर्ता संख्या 2 से 9 के खिलाफ समन जारी किया, जिसमें उन्हें पहले जारी किए गए समन के संदर्भ में अपेक्षित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता थी।

15. इस बीच, 2019 का सि.वि.आ.16956, 10 अप्रैल 2019 को न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष विचार के लिए आई। अंतिम निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जिनके संदर्भ में स्वयं से अपील का निपटारा किया गया था, न्यायालय ने दिनांक 10 अप्रैल 2019

के अपने आदेश द्वारा उपबंधित किया कि प्रत्यर्थागण को 18 मार्च 2019 और 20 मार्च 2019 के समन के अनुरूप कोई भी कठोर कदम उठाने से रोक दिए जाएंगे। हालांकि, न्यायालय ने संकेत दिया कि यदि प्रत्यर्थागण कार्यवाही करना चाहते हैं तो वे ले.पे.अ. के निपटान करते समय 18 मार्च 2019 को न्यायालय द्वारा विरचित निर्देशों के अनुसार सख्ती से ऐसा कर सकते हैं। सि.वि.आ. 16956/2019 पर पारित उपर्युक्त आदेश पर ध्यान देते हुए, आर.ओ.सी. ने दिनांक 07 मई 2019 को पारित एक अलग आदेश दिनांक 18 मार्च 2019 के नोटिस को वापस लेने की कार्यवाही की।

16. आगे के घटनाक्रम में, एस.एफ.आई.ओ. ने दिनांक 13 जून 2019 को पहले याचिकाकर्ता अल्केमिस्ट हेल्थकेयर लिमिटेड को एक संसूचना जारी की, जो जांच के दायरे में आने वाली कंपनियों में से एक है, जिसके लिए उसे अल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलों के संबंध में शुरू की गई जांच के संबंध में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता थी। अल्केमिस्ट हेल्थकेयर द्वारा स्पष्ट और बलपूर्वक कहा गया कि यह स्पष्ट रूप से अवमानना के लिए की गई इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को जानबूझकर अवज्ञा की गई है और जो अवमान मामले (सी) संख्या 610/2019 के रूप में गिना गया।

17. एक संबंधित घटनाक्रम में, 2019 के सि.वि.आ.16956 को खंड न्यायपीठ द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2019 को अंतरिम आदेश जारी रखते हुए निपटाया गया था जबकि पारित अंतरिम आदेश को जारी रखा गया था और जिसे अवमानना मामले के लंबित रहने के दौरान प्रभावी रहने का निर्देश दिया गया था।

18. अल्केमिस्ट हेल्थकेयर द्वारा शुरू की गई अवमान कार्रवाई को अंततः एक न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ खारिज कर दिया गया: -

“10. अजीब बात यह है, कि उपरोक्त शर्तों के तहत ले.पे.अ. के निपटारे के बाद, एस.एफ.आई.ओ. द्वारा अलकेमिस्ट लिमिटेड और अलकेमिस्ट होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड को अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत जारी समन के कारण डिवीजन बेंच के समक्ष सि.वि. संख्या

16956/2015 दायर की गई, जिस पर आवेदकों ने जोर नहीं दिया और डिवीजन बेंच ने अपने आदेश दिनांकित 31.07.2019 के तहत इसका निपटारा कर दिया। दूसरे शब्दों में, इस तरह के आवेदन को दाखिल करना अप्रासंगिक था, लेकिन न्यायालय की कार्यवाही को विचलित करने/ न्यायालय का ध्यान भंग करने के लिए इस तरह के आवेदन को दाखिल करने और डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 10.04.2019 को नोटिस जारी करने पर, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

" सि.वि.संख्या 16956/2019 (दिशानिर्देशों के लिए)

नोटिस जारी करना।

श्री जसमीत सिंह, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के लिए कें.स.स्था.अधि. नोटिस स्वीकार करते हैं।

दिनांकित 20.03.2019 के इस आवेदन के साथ अनुलग्नक ए-2 द्वारा जारी किए गए समन के प्रथम दृष्टया अवलोकन से पता चलता है कि यह हमारे द्वारा दिनांक 18.03.2019 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार नहीं है, जो निम्नानुसार है:-

"पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हम पाते हैं कि विद्वान रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मामले में जांच करने और इस आधार पर कानून के अनुसार कार्यवाही का निर्देश जारी किया गया था कि आक्षेपित कार्रवाई करने से पहले याचिगण को नहीं सुना गया था।

हमारा ध्यान श्री राजीव नायर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 213 की उप-धारा 16 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया गया है जो निम्नानुसार है:

"(16) इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन गंभीर कपट अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई या आरंभ की गई कोई जाँच या अन्य कार्रवाई उस अधिनियम के अधीन इस प्रकार आगे बढ़ती रहेगी मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था।"

श्री राजीव नायर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, पूर्वोक्त प्रावधान के आधार पर मामले की छानबीन या जांच कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 234 और 235 के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए, न की कंपनी अधिनियम, 2013 में विहित नियमों अथवा प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। हम पूर्वोक्त प्रतिविरोध में बहुत बल देखते हैं।

इसलिए, हम स्पष्ट करते हैं और निर्देश देते हैं कि कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विचारित प्रावधानों के अनुपालन में विद्वान रिट न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में जांच की जाए। पक्षकार सभी आपत्तियां उठा सकते हैं जो सांविधिक प्राधिकारी के साथ अनुमेय हो सकती हैं, जो संसूचना या प्राप्त शिकायतों के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत मामले की जांच कर सकते हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर, अपील और लंबित आवेदन का निपटारा किया जाता है।"

प्रत्यर्थागण द्वारा जारी दिनांकित 20.03.2019 के समन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार की गई कार्रवाई के बारे में बताते हैं। प्रत्यर्था संख्या 1 से 4 को दो सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है।

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को सूचीबद्ध।

इस बीच, प्रत्यर्थागण द्वारा जारी दिनांकित 18.03.2019 (अनुलग्नक ए-1) के आदेश और दिनांकित 20.03.2019 (अनुलग्नक ए-2) के संदर्भ में किसी भी कठोर कदम को प्रस्थगन रखा जाएगा। हालांकि, यदि प्रत्यर्था संख्या 1 से 4 हमारे द्वारा जारी दिनांक 18.03.2019 को जारी निर्देशों के अनुसार सख्ती से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं।"

यह मानते हुए, खंड न्यायपीठ द्वारा पारित दिनांकित 10.04.2019 के पूर्वगामी आदेश ने हेल्थकेयर को इंफ्रा रियल्टी की एक समूह कंपनी के रूप में अपने दायरे में ले लिया, हालांकि, ऐसा नहीं है, अवरोध आदेश किसी भी कठोर कदम उठाने के खिलाफ लागू होना था, जिसका, तात्पर्य केवल समन जारी करने से नहीं होगा।

11. किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो अभिलेख से बिंदुमात्र भी तथ्य नहीं निकलता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का कोई भी कार्य प्रार्थना किए गए किसी आदेश को आमंत्रित करता है। याचीगण द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उनका कोई फायदा नहीं हुआ है। यह कहना पर्याप्त होगा, कि अवमान की कार्यवाही की शुरुआत किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है और यह कि, जहां आवश्यक हो, इसका प्रयोग न्यायालय के विवेकानुसार किया जाना चाहिए, जो कानून के सुस्थापित सिद्धांतों पर आधारित हो।

12. यहाँ न्यायालय के विचार में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हेल्थकेयर और उसके एक निदेशक द्वारा दायर की गई तत्काल याचिका प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को अनावश्यक मुकदमेबाजी में शामिल करने का एक नपा-तुला प्रयास है, जो उन्हें उनके कानूनी दायित्वों के निर्वहन में डराने और इस तरह अनुचित लाभ उठाने का एक प्रत्यक्ष प्रयास है। यह देखना पर्याप्त होगा कि इंफ्रा रियल्टी के व्यवसाय को उसके लेनदारों के साथ धोखाधड़ी करके या अन्यथा धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्य से चलाने के गंभीर आरोप - जिन्हें वर्ष 2012 में शुरू करने की मांग की गई थी, अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं और न्यायालये कष्टप्रद कार्यवाहियों से भरी हुई हैं।”

19. तथ्यों के वर्णन को पूरा करने के लिए, हम केवल यह नोट कर सकते हैं कि प्रत्यर्थीगण ने दिनांकित 06 दिसंबर 2018 को नोटिस जारी करते हुए 2013 अधिनियम की धारा 212 के तहत सभी याचिगण के साथ-साथ ए.आई.आर.एल. के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। दिनांक 06 नवंबर 2019 को, प्रत्यर्थीगण ने अल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ शुरू की गई जांच से ए.आई.आर.एल. को छोड़कर एक शुद्धिपत्र जारी करने

के लिए कार्यवाही की और जिसे अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार किए जाने का प्रस्ताव था।

20. संबोधित किए गए प्रस्तुतियों के मूल्यांकन करने के क्रम, 24 अगस्त 2012 की आर.ओ.सी. की रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाली जांच की सीमा को संक्षेप में नोटिस करना उचित होगा, जिसमें ए.आई.आर.एल. के मामलों की जांच की सिफारिश की गई थी और साथ ही दिनांकित 23 अक्टूबर 2018 की रिपोर्ट जिसके अनुसरण में समूह कंपनियों के खिलाफ जांच करने की मांग की गई थी।

21. जहां तक ए.आई.आर.एल. का संबंध है, सिफारिश इस प्रकार पढ़ी गई है:-

“भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कंपनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय
रा.रा.क्षे. दिल्ली एवं हरियाणा
4^{वां} फ्लोर, आई.एफ.सी.आई. टॉवर, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली - 110019
ईमेल: roc.delhi@mca.gov.in
फोन: 011-26235703/ फैक्स: 26235702

संख्या. आर.ओ.सी./टी.एस./पी.पी./19532

दिनांकित: 24.08.2012

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.),
कारपोरेट कार्य मंत्रालय,
पी.डी.आई.एल. भवन,
नोएडा।

विषय:- ए.जे. केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड के खिलाफ शिकायत और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 234(6) के तहत रिपोर्ट के मामले में- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 234(2) और 234(3क) के तहत और अधिक जानकारी मांगना।

आदरणीय महोदय,

यह निदेशालय के पत्र संख्या टी.एस./डी/आर/234(1)/2012/36/2387 दिनांकित 29.5.2012 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या सी.ओ.एम.पी./16544 दिनांकित 18.5.2012 के अनुक्रम में है। मुझे निम्नानुसार रिपोर्ट करना है:

1. कंपनी, अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड, को दिनांक 02.04.2008 पर सी.आई.एन.यू74120डी.एल.200बी.पी.एल.सी.17678 के माध्यम से इस कार्यालय के साथ निगमित करना किया गया है।
2. इस कार्यालय को भारतीय रिजर्व बैंक से दिनांकित 12.01.2012 के पत्र संख्या डी.एन.बी.एस./2386/एम.आई./20.02007-2010-11 विषय "जनता से जमा राशि जुटाना/लोक निधि जमा करना" के तहत संदर्भ प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि श्री डी. राजा, माननीय संसद सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें विभिन्न कंपनियों के संबंध में मुद्दे उठाए गए हैं और क्रम संख्या 9 और 12 में उल्लिखित कंपनियां अर्थात् अलकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड और बेसिल इंटरनेशनल लिमिटेड आर.ओ.सी., दिल्ली के साथ पंजीकृत हैं। ये कंपनियां आर.बी.आई. के साथ पंजीकृत एन.बी.एफ.सी. नहीं हैं और इन्हें इस कार्यालय (आर.ओ.सी. दिल्ली) के पास उचित कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। उसी तिथि को प्राप्त उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ आर.बी.आई. का दिनांकित 09.01.2012 का एक समान पत्र भी संलग्न किया गया था (दोनों पत्रों की प्रतियां क्रमशः अनुलग्नक क-1 और क-2 के रूप में संलग्न हैं)।

3. तथापि, यह देखा गया कि उक्त पत्र में उल्लिखित अनुलग्नक अर्थात् माननीय संसद सदस्य से प्राप्त शिकायत संलग्नकों सहित आर.बी.एल. से प्राप्त किसी भी पत्र के साथ संलग्न नहीं पाई गई। तदनुसार, उन्हें आर.बी.आई. से इस कार्यालय के पत्र संख्या सी.ओ.एम.पी./13545 दिनांकित 10.02.2012 के माध्यम से मंगाया गया। आर.बी.आई. ने उक्त अनुलग्नक दिनांकित 13.02.2012 के पत्र डी.एन.बी.एस. सं. 2857/10.01.007-एम.आई.-2007/2011-12 के माध्यम से भेजे (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से अनुलग्नक-ए-3 के रूप में चिह्नित)।
4. माननीय संसद सदस्य से प्राप्त शिकायत, जो मूल रूप से माननीय राज्यपाल को संबोधित की गई थी, के अवलोकन पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने "जनता से जमाराशियां जुटाना", विषय के साथ कहा है कि कुल 13 कंपनियों का नाम लिया गया है जो ब्रोचर्स के मुद्दों द्वारा जनता से जमाराशियां आमंत्रित कर रही हैं और विभिन्न योजनाओं की पेशकश कर रही हैं जैसे - आवासीय भूखंडों, डिबेंचर आदि का आवंटन। इस कार्यालय में पंजीकृत केवल 2 कंपनियों अर्थात् *अल्केमिस्ट रियल्टी इंफ्रा लिमिटेड और बेसिल इंटरनेशनल लिमिटेड* को आर.बी.आई. द्वारा इस कार्यालय में पंजीकृत होने के लिए संदर्भित किया गया था। इन दोनों कंपनियों द्वारा जारी किए गए ब्रोशर की प्रतियां भी माननीय सांसद को प्राप्त संदर्भ के साथ संलग्न पाई गई थीं।
5. इस कार्यालय ने दिनांकित 26-08-2011 की इस कार्यालय रिपोर्ट द्वारा बेसिल इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके समूह/संबद्ध कंपनियों के संबंध में पहले ही एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। मंत्रालय ने इस कार्यालय द्वारा प्रस्तुत दिनांकित 26.08.2011 की रिपोर्ट के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 235 के तहत बेसिल इंटरनेशनल लिमिटेड, वामशी केमिकल्स लिमिटेड, निक्सिल फार्मास्यूटिकल्स स्पेशलिटीज लिमिटेड, एपेलने कॉस्मेटिक्स

एंड टॉयलेटरीज़ लिमिटेड और बेसिल एक्सप्रेस लिमिटेड के मामलों की एस.एफ.आई.ओ. द्वारा जांच करने का आदेश दिया था।

6. इस प्रकार केवल अल्केमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी लिमिटेड (जिसे आगे कंपनी के रूप में संदर्भित किया गया) से संबंधित मामले की जांच की गई। जो की आर.बी.आई. द्वारा संदर्भित उपरोक्त दो मामले हैं।
7. कंपनी के खिलाफ अन्य संदर्भ/शिकायतें: आर.बी.आई. से प्राप्त संदर्भ के अलावा, इस कार्यालय को उक्त कंपनी के संबंध में निम्नलिखित शिकायतें/संदर्भ/आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त हुए हैं और कुछ आर.टी.आई. आवेदनों में अन्य समूह कंपनियों का उल्लेख किया गया था। आर.टी.आई. आवेदन का जवाब अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार दिया गया:-

(क) श्री सनत कुमार चटर्जी की शिकायतें दिनांकित 27.11.2010 को आर.बी.आई. के पत्र दिनांकित 28.12.2010 के माध्यम से प्राप्त हुईं, जिन्हें इस कार्यालय के पत्र दिनांकित 18.1.2011 के माध्यम से कंपनी के समक्ष उठाया गया (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से अनुलग्नक-क-4 के रूप में परिशिष्ट है)।

(ख) श्री चंदन कुमार से प्राप्त विभिन्न आर.टी.आई. आवेदन, कुछ खाली करार के प्रारूप के साथ संलग्न हैं। संपत्ति का प्रमाण पत्र, जमा रसीदों का गैर-हस्तांतरण, पूर्व-क्रमबद्ध आवेदन पत्र, कंपनी द्वारा परिचालित विशेष मुख्तारनामा का प्रारूप आदि। (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से अनुलग्नक-क-5 के रूप में परिशिष्ट)।

(ग) जैसा कि ऊपर (ख) में बताया गया कि दस्तावेज के साथ सरदार अतिकुरहमान आरिफ, बलिया, उत्तर प्रदेश के आर.टी.आई. आवेदन संलग्न और अचल

संपत्ति की पेशकश करने वाले पैम्फलेट की फोटो-कॉपी और जनता से जमा की गई राशि की फोटो-कॉपी भी संलग्न है, जिस पर डॉ. बीएम महाजन, कंपनी के निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और समूह कंपनियों, समूह प्रधान कार्यालय के नाम का संकेत देने वाले ब्रोचर्स भी, समूह अध्यक्ष, रिक्त विधिवत क्रमबद्ध आवेदन पत्र और समूह अध्यक्ष, रिक्त विधिवत क्रमबद्ध आवेदन पत्र और या तो दस्तावेज (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से अनुबंध-ए-6 के रूप में चिह्नित)।

- (घ) मुमताज अहमद के आर.टी.आई. आवेदन के साथ इसी तरह के दस्तावेज परिशिष्ट हैं। (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से अनुलग्नक-क-7 के रूप में चिह्नित).
- (ङ) राजेश प्रजापति, गोरखपुर और श्री बीके सिंह के आर.टी.आई. आवेदन में इसी तरह के दस्तावेज परिशिष्ट हैं। (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से अनुलग्नक-क-8 के रूप में चिह्नित)।
- (च) मंत्रालय में प्राप्त आर.टी.आई. आवेदन और आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय को अग्रेषित किया गया, जैसा कि श्री नंद लाल मौर्य से प्राप्त हुआ था, ग्राम पूरनपुर, उपरोक्त दस्तावेजों के साथ संलग्न किया गया था। (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से अनुलग्नक-क-9 के रूप में चिह्नित)।
- (छ) हाल ही में इस कार्यालय को प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह से संदर्भ की एक प्रतिलिपि प्राप्त हुई है (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से अनुलग्नक-क-10 के रूप में चिह्नित)।

- (ज) श्री चंदन कुमार की शिकायत, माननीय सचिव, एम.सी.ए को संबोधित तथा प्रतिलिपि इस कार्यालय को। (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से *अनुलग्नक-क-11* के रूप में चिह्नित)।
- (झ) कृपया इसके साथ इंटरनेट से परिशिष्ट की गई सामग्री को भी देखें जिसमें सार्वजनिक निधि जुटाने के तरीके को दर्शाया गया हो और इस तथ्य को भी दर्शाया गया हो कि कंपनी द्वारा जनता से सार्वजनिक निधि एकत्र करने के लिए अभिकर्ता को लगाया गया है। (इस सामग्री को सामूहिक रूप से *अनुलग्नक-क-11* के रूप में परिशिष्ट चिह्नित किया गया है)।
8. इस कार्यालय ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 234(झ) के अन्तर्गत सी.ओ.एम.पी./4759 दिनांकित 27.03.2012 के तहत आदेश जारी किया है (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से *अनुलग्नक-क-12* के रूप में चिह्नित)।
9. कंपनी ने अनुरोध पत्र दिनांकित 09.04.2012 पत्र संख्या ए.आई.आर.एल./आर.ओ.सी./2012/01 के माध्यम से जवाब देने के लिए चार सप्ताह का का समय मांगा (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से *अनुलग्नक-क-13* के रूप में चिह्नित)।
10. इस कार्यालय ने अधिनियम की धारा 234(3क) के तहत आदेश जारी किया, जिसमें कंपनी को इस कार्यालय के पत्र दिनांकित 18.04.2012 के माध्यम से 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया। (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से *अनुलग्नक-क-14* के रूप में चिह्नित है)।
11. कंपनी अपना जवाब दाखिल करने में विफल रही और तदनुसार इस कार्यालय ने मामले को निदेशालय को इस कार्यालय के दिनांकित 18.05.2012 पत्र संख्या सी.ओ.एम.पी./16544 के माध्यम से संदर्भित किया है, जिसमें

अधिनियम की धारा 234(4) के तहत अभियोजन दायर करने की मंजूरी मांगी गई है। (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से अनुलग्नक-क-15 के रूप में चिह्नित) और साथ ही अधिनियम की धारा 234 (3क) के तहत एक और आदेश कंपनी को इस कार्यालय के पत्र दिनांकित 16.05.2012 के माध्यम से जारी किया गया था (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से अनुलग्नक-क-16 के रूप में चिह्नित)।

12. कंपनी ने पुनः दिनांकित 22.05.2012 के अपने पत्र के माध्यम से उत्तर देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से अनुलग्नक-क-17 के रूप में चिह्नित)।
13. निदेशालय ने दिनांकित 29.05.2012 के पत्र द्वारा इस कार्यालय को निदेश दिया कि वह कंपनी और इसके निदेशकों को धारा 234(3क) के अंतर्गत अंतिम आदेश जारी करे ताकि वे 15 दिनों के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकें और तत्पश्चात् निदेशालय को तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजें (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से अनुलग्नक-क-18 रूप में चिह्नित)।
14. तदनुसार, इस कार्यालय ने दिनांकित 12.06.2012 के आदेश के तहत अधिनियम की धारा 234 (3क) के तहत अंतिम आदेश जारी किया है (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से अनुलग्नक-क-19 के रूप में चिह्नित)।
15. कंपनी ने दिनांकित 26.06.2012 के पत्र द्वारा अपना आंशिक उत्तर प्रस्तुत किया (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से अनुलग्नक-क-20 के रूप में चिह्नित) और कंपनी ने शेष पैरा पर दो सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने का वादा किया।
16. कंपनी के आंशिक उत्तर की जांच करने पर, यह पाया गया कि कंपनी का उत्तर विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अधूरा/अस्पष्ट था और यह भी महसूस किया गया कि कंपनी से आगे की जानकारी/स्पष्टीकरण और अभिलेख की आवश्यकता है। उत्तर पर हस्ताक्षर करने वाले निदेशकों के हस्ताक्षर और नामों पर भी प्रारंभिक संदेह था। इस प्रकार तदनुसार

अधिनियम की धारा 234(3क) के तहत कंपनी को दिनांकित 06.07.2012 के आदेश द्वारा आदेश जारी किया गया (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से अनुलग्नक-क-21 के रूप में चिह्नित)।

17. उक्त आदेश के प्रत्युत्तर में, कंपनी ने प्राथमिक रूप से संदेहों को स्पष्ट करने के प्रयास में प्रथम दृष्टया दिनांकित 11.07.2012 के पत्र द्वारा पुन बहुत संक्षिप्त उत्तर दायर किया और उन निदेशकों के नाम की पुष्टि की जिन्होंने उत्तर पर हस्ताक्षर किए हैं और आगे दिनांकित 20.07.2012 को अथवा उससे पूर्व उत्तर प्रस्तुत करने का वायदा किया (प्रतिलिपि सामूहिक रूप से अनुलग्नक-क-27 के रूप में चिह्नित)।
18. तथापि, कंपनी ने दिनांकित 23.07.2012 के पत्र द्वारा पुन यह कहा कि वह उत्तर दायर करने की स्थिति में नहीं है *कंप्यूटर खराब होने के कारण जवाब दाखिल करने के लिए एक महीने का समय मांगा*। कंपनी द्वारा दिनांकित 24.07.2012 को ई-मेल द्वारा भी इसकी सूचना दी। इस कार्यालय ने उक्त ई-मेल के उत्तर में कंपनी को सूचित किया कि कंपनी ने पहले ही कई बार अतिरिक्त समय लिया है और आगे समय स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 234(1) और 234(3क) के प्रावधानों का पहले ही उल्लंघन किया जा चुका है। इस मामले में किसी भी तरह की देरी कंपनी के जोखिम पर है। (आदान-प्रदान किए गए पत्र और ई-मेल की प्रतिलिपि सामूहिक रूप से अनुलग्नक-क-23 के रूप में चिह्नित हैं)।
19. किसी भी स्थिति में, कंपनी द्वारा दिनांकित 23.07.2012 के पत्र के तहत मांगी गई एक माह की समयावधि भी समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार, कंपनी और उसके अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 234(1) और 234(3क) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और अधिनियम की धारा 234(4) के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए निदेशालय से अनुरोध है कि कंपनी और उसके व्यतिक्रम अधिकारियों के

खिलाफ अधिनियम की धारा 234(4) के तहत अभियोजन दायर करने की मंजूरी दी जाए।

20. कंपनी द्वारा जुटाई गई जमाराशियों की प्रकृति और मात्रा: कंपनी के आंशिक उत्तर, कंपनी द्वारा दायर तुलन पत्र और अन्य दस्तावेजों तथा इस कार्यालय द्वारा बनाए गए अभिलेखों की जांच करने पर यह क्रमशः प्रस्तुत किया जाता है कि:-

(क) कंपनी द्वारा जुटाई गई राशि और निधियों के कुल संसाधन: दिनांक 31.03.2010 और 31.03.2011 के तुलनपत्र के अनुसार विभिन्न शीर्षों के तहत प्रकट शेष राशि के अनुसार कंपनी द्वारा सार्वजनिक और धन के कुल स्रोतों से जुटाई गई राशि निम्नानुसार है:-

मुख्य शीर्षक	उप-शीर्षक	31.03.2010 (करोड़ रुपए में)	31.03.2011 (करोड़ रुपए में)
चालू दायित्व	भूमि के विरुद्ध अग्रिम	83.97	203.11
चालू दायित्व	विकास शुल्क के विरुद्ध अग्रिम	365.44	884.58
कुल-राशी जुटाई गई लोक निधि		449.41	1087.69
ऋण	प्रतिभूत और अप्रतिभूत	0	0
पूंजी		0.42	0.42
आरक्षित एवं अधिशेष	संचयी लाभ	2.95	6.18
चालू दायित्व	विविध लेनदार अन्य देनदारियां एवं प्रावधान	1.98	8.18
कुल योग		454.76	1102.45

(ख) इस प्रकार प्राप्त निधियों का उपयोग निम्नानुसार है:-

मुख्य शीर्षक	उप-शीर्षक	(31-03-2010 (रु करोड़ में)	31.03.2011 (रु करोड़ में)
चालू संपत्ति	नकद और वस्तु के रूप में प्राप्त होने वाला अग्रिम	283.79	806.61

चालू संपत्ति	नकद और बैंक शेष	160.37	242.53
अन्य चालू संपत्ति		10.11	44.24
स्थायी परिसम्पतियाँ		0.21	0.44
निवेश		0.25	7.86
विविध व्यय अभी तक अपलिखित नहीं किया है		0.03	0.77
कुल योग		454.76	1102.45

- (ग) इस प्रकार संक्षेप में कंपनी ने दिनांक 31.03.2010 तक जनता के लिए 449.41 करोड़ रुपए की कुल धनराशि जुटाई थी, जो दिनांक 31.03.2011 तक बढ़कर 1087.69 करोड़ रुपए हो गई।
- (घ) इस कार्यालय ने आदेश के पैरा संख्या 14 के तहत अधिनियम की धारा 234(1) के तहत जारी आदेश में कंपनी द्वारा जुटाई गई निधियों की प्रकृति और तरीके पर एक विशिष्ट प्रश्न उठाया था। तथापि, कंपनी ने उत्तर दिया है कि यह रियल एस्टेट कंपनी है जो विकसित भूमि की खरीद और एकमुश्त बिक्री और खरीद के व्यवसाय में लगी हुई है। हालांकि, पैरा संख्या 14 के जवाब में कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं दी गई थी क्योंकि यह कहा गया है कि इसका अनुपालन किया जा रहा है और प्रस्तुत किया जाएगा जो अधिनियम की धारा 234 (3क) के तहत कई नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अभी तक प्रस्तुत किया जाना बाकी है।
- (ड) यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कंपनी के पास उत्तर के पैरा 13 के उत्तर में दिए गए ब्यौरे के अनुसार व्यापार में स्टॉक के रूप में बहुत कम भूमि है और दिनांक 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार

अंतिम स्टॉक का मूल्य केवल यह 4319 करोड़ रुपए है। यह अकल्पनीय है कि इस भूमि के एवज में कंपनी ने अग्रिम के रूप में 203.11 करोड़ रुपये और 884.58 करोड़ रुपये की आसमान छूती राशि एकत्र की है। “दिनांक 31.03.2011 तक विकास शुल्क के विरुद्ध अग्रिम”।

21. लोक निधियों के संग्रहण में कंपनी की कार्यप्रणाली: तुलन पत्रों की जांच करने पर, कंपनी द्वारा प्रस्तुत आंशिक उत्तर, प्राप्त शिकायतों और संदर्भों की जांच करने पर, ऐसी लोक जमाराशियां जुटाने में कंपनी की निम्नलिखित कार्यप्रणाली की पहचान की जाती है।

(क) कंपनी जनता से जमा राशियां जुटाने के उद्देश्य से संभवतः अभिकर्ताओं के माध्यम से विवरणिका, आवेदन पत्र, समझौतों की प्रतिलिपियाँ आदि प्रचल कर रही है। उक्त साहित्य/विवरणिका में, कंपनी ने समूह की कंपनियों का विवरण दिया है और स्वयं या उसके विकास के लिए समर्थन के साथ अचल संपत्ति की पेशकश कर रही है और 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष और 16 वर्ष की अवधि के लिए स्वयं या सहयोगियों द्वारा विकास के लिए सहायता के साथ अचल संपत्ति की पेशकश कर रही है।

(ख) ऐसी राशि प्राप्त होने पर जमाकर्ता को "संपत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जाता है, जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रमाण पत्र धारक को बेहंटा, टीला, तहसील, खोलाराश, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश में मात्र 905.016 कनाल भूमि में आनुपातिक अविभाजित शेयर स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) यह अनुरोध किया जाता है कि शिकायत के साथ संलग्न प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि और कंपनी को दिनांकित 06.07.12 को जारी आदेश 234(3क) के

साथ संलग्न प्रति भी देखें (संदर्भ लें *अनुलग्नक क-21*)

- (घ) यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंपनी द्वारा अपने दिनांकित 26.06.2012 के उत्तर संख्या 13 के अनुसार दिए गए भूमि के व्यापार में स्टॉक के अनुसार; कंपनी के पास उपरोक्त पते पर कभी कोई जमीन नहीं थी। केवल 52.60 हेक्टेयर भूमि ही मध्य प्रदेश भूमि दर्शाई गई है (31.03.2010 तक शेष राशि 1284793/- रु. तथा 19934514/- रु.) जिसके विरुद्ध कंपनी ने 1097.69 करोड़ रु. की भारी राशि एकत्रित की है।
- (ङ) यह भी बहुत आश्चर्यजनक तथ्य है कि संपत्ति प्रमाण पत्र, आवंटन संख्या आर.सी.00143964 और आर.सी.00259531 (प्रतिलिपियाँ *अनुलग्नक क-24* के रूप में परिशिष्ट चिह्नित) के अनुसार दिनांक 27.04.2010 को स्वीकृत 3 लाख रुपये के लिए और 28.01.2010 को 1,10,000 रुपये के लिए भी भूमि का क्षेत्रफल समान है।
- (च) लोक निधि राशि जुटाने का काम किस कदर तेजी से किया जा रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व-संख्या वाले आवेदन फॉर्म प्रचल किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक पूर्व-आवेदन क्रमांकित प्रपत्र क्रमांक 01072306 के साथ आर.बी.आई. के माध्यम से प्राप्त संदर्भ के साथ संलग्न किया गया है, जो माननीय सांसद के पत्र के साथ संलग्न है।
- (छ) यह आरोप कि कंपनी ने बड़ी संख्या में ऐसे व्याख्यान और आवेदन प्रपत्र मुद्रित और प्रचल किए हैं और अभिकर्ताओं को नियुक्त किया है, को इस

तथ्य से समर्थन मिलता है कि कंपनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान विज्ञापन और प्रचार के रूप में 5 करोड़ रुपए और वर्ष 2010-11 के दौरान 11.61 लाख रुपए खर्च किए हैं। कंपनी द्वारा दिए गए विवरण से, यह देखा जाता है कि कंपनी ने टोंट्रा के साथ प्रचार के लिए समझौता किया है। एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। जबकि कंपनी के पास उत्पादों और सेवाओं की बिक्री का कोई व्यवसाय नहीं है जिसके लिए इतने बड़े पैमाने पर विज्ञापन और प्रचार की आवश्यकता हो। इसके अलावा, कंपनी ने स्टेशनरी की छपाई पर 72.34 लाख रुपये का खर्च किया है। कंपनी की सकल व्यावसायिक आय 2009-10 के दौरान केवल 15.34 करोड़ रुपये और 2010-11 के दौरान 18.23 करोड़ रुपये है, जाहिर है, मुद्रण और विज्ञापन के खाते में इतना बड़ा व्यय उपर्युक्त विवरणिका आदि की छपाई के लिए है और लोक निधि के संग्रह के लिए इस पर भारी प्रचार किया गया है।

- (ज) 31-03-2009 की स्थिति के अनुसार प्राप्त विकास प्रभारों और भूमि के एवज में 1087.69 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का गंभीर अंतर है। कंपनी द्वारा वास्तविक भूमि धारण की तुलना में “43 करोड़ रुपये”, भूमि की बिक्री 18.28 करोड़ रुपये का संकेत है कि कंपनी के पास कोई भूमि संपत्ति नहीं है और कंपनी ने झूठे वादों पर सार्वजनिक धन एकत्र किया है, गैर-मौजूदा भूमि के आधार पर काल्पनिक प्रमाण पत्र दिया है और जमाकर्ताओं को उक्त संपत्ति देने की स्थिति में नहीं है। कंपनी ने झूठे वादे किए हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि वैकल्पिक रूप से जनता को परिपक्वता पर उचित प्रतिफल नहीं मिलेगा।

(झ) कंपनी को उपरोक्त तरीके और प्रतियों की पुष्टि या खंडन करने के लिए एक स्पष्ट रूप में परिप्रश्न का सामना करना पड़ा था - “संपत्ति का प्रमाण पत्र” और शिकायत से जुड़ी अन्य सामग्री को धारा 234(3क) के तहत जारी आदेश के साथ संलग्न किया गया था दिनांकित 06.07.2012 (देखें अनुलग्नक क-21)। कंपनी उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार इसका उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रही है।

22. कंपनी द्वारा निधियों का अपयोजन: कंपनी ने जनता से प्राप्त उक्त निधियों को अग्रिम देने के माध्यम अपयोजन किया है (31.03.2011 तक शेष राशि 806.61 करोड़ रुपये है)। ऐसे पक्षों की सूची जिन्हें ऐसे अग्रिम प्राप्त हुए हैं, कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 234(3क) के तहत बार-बार आदेश जारी किए जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराई गई है।
23. दिनांक 31.03.2011 तक कंपनी के पास 242.54 करोड़ रुपए नकद और बैंक बैलेंस है, जिसमें से 215.65 करोड़ रुपए बैंकों में सावधि जमा के रूप में कथित हैं। हालांकि, इस कार्यालय द्वारा दिनांकित 27.03.2012 के आदेश के पैरा संख्या 11 के तहत उठाए गए विशिष्ट प्रश्नों के बावजूद, कंपनी ने केवल उन बैंकों के नाम की सूची दी है, जहां एफ.डी.आर रखे जाने की बात कही गई है। एफ.डी.आर. रसीद की कोई प्रति नहीं दी गई है। इसे भी सत्यापित किया जाना आवश्यक है।
24. कंपनी के निदेशक: शीर्षक कंपनी के पूर्व और वर्तमान निदेशक निम्नलिखित हैं:
 - क. श्री बृजमोहन महाजन दिनांक 02.04.2008 से कार्यरत हैं और अभी भी निरंतर कार्यरत हैं।
 - ख. श्री सुनील कांति कर को दिनांक 02-04-2008 से कार्यरत है और अभी भी निरंतर कार्यरत है।

- ग. श्री नारायण माधव कुमार को दिनांक 20-02-2009 से कार्यरत है और अभी भी निरंतर कार्यरत है।।
- घ. श्री बलवीर सिंह 02.04.2008 से 09.02.2009 तक।
- ड. श्री चन्द्र शेखर चौहान दिनांक 04.02.2009 से 20.02.2009 तक।

25. अन्य कंपनी में निदेशक पद : कृपया इसके साथ परिशिष्ट रिपोर्ट देखें जिसमें उन कंपनियों को दर्शाया गया है जिनमें कंपनी के निदेशक के रूप में रुचि रखते हैं। इसके अतिरिक्त, इस कंपनी के निदेशक निम्नलिखित समूह कंपनियों में निदेशक बने रहे (निदेशकों के रजिस्टर की प्रतिलिपीयाँ सामूहिक रूप से परिशिष्ट अनुलग्नक क-25 के रूप में चिह्नित हैं)।

निदेशक का नाम	अन्य समूह कंपनी का नाम	से	तक
श्री ब्रिज मोहन	अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड	19.11.2004	08.03.2008
महाजन	अल्केमिस्ट कैपिटल लिमिटेड	03.04.2004	20.03.2009
श्री सुनील कांति	अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड	06.12.2004	20.03.2009
	अल्केमिस्ट कैपिटल लिमिटेड	03.04.2004	16.02.2009
श्री नारायण माधव कुमार	अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड	20.01.2009	19.02.2009
श्री बलवीर सिंह	अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड	02.01.2005	जारी रखने
	अल्केमिस्ट कैपिटल लिमिटेड	05.06.2009	जारी रखने

श्री चन्द्र शेखर चौहान	अल्केमिस्ट होल्टिंग्स लिमिटेड	19.02.2009	जारी रखने
------------------------------	----------------------------------	------------	-----------

26. समूह कंपनियों द्वारा जुटाई गई राशि: उपरोक्त में से निम्नलिखित समूह कंपनियों ने भी अधिमानी शेयरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोक निधि जुटाई है और अधिनियम की धारा 73 सह पठित धारा 67(3) के उल्लंघन की संभावना और अभिकर्ताओ आदि को शामिल करने के कार्य प्रणाली से इंकार नहीं किया जा सकता है:

क. अल्केमिस्ट कैपिटल लिमिटेड ने 30.10.2008 तक 1652124900/- (165.22 करोड़) रुपये जुटाए थे, जिसमें 10/- रुपये प्रति शेयर के 165212430 अधिमानी शेयर शामिल थे, यह सब उस अवधि के दौरान हुआ जब श्री बृज मोहन महाजन और श्री सुनील कांति केर और श्री बलवीर सिंह, जो कि उक्त कंपनी के सभी निदेशक थे, उनकी कंपनी के बोर्ड में निदेशक थे। अधिमानी शेयरों के लिए कुछ फॉर्म 2 में, आवंटियों की सूची के लिए अनुलग्नक 1369 पेज और 1439 पेज तक चलते हैं (एस.आर.एन.ए.14413447 और ए.आई.49393326)

ख. अल्केमिस्ट होल्टिंग्स लिमिटेड ने दिनांक 21.11.2009 तक 4440728000/- (444.67 करोड़ रुपये) यानी 10/- रुपये प्रति शेयर के 444672800 अधिमानी शेयर जुटाए थे, यह सब उस अवधि के दौरान हुआ जब उक्त कंपनी के निदेशक श्री बृज मोहन महाजन इस कंपनी के बोर्ड में निदेशक थे और श्री सुनील कर दिनांक 08.03.2008 तक बने रहे और श्री बलवीर सिंह अभी भी इस कंपनी के बोर्ड में निदेशक हैं, इसलिए अधिमानी शेयरों के लिए फॉर्म 2 में, आवंटियों की सूची के लिए संलग्नक 1250 पेज (A18949164), 1240 पेज (A29827540), 1374 पेज (A36828242) और 1625 पेज (A49718067) तक हैं।

27. कंपनी का शेयरधारिता रूप; 2011 के लिए दायर नवीनतम वार्षिक विवरणी से लिए गए शेयरधारकों की सूची संलग्न है (अनुबंध क- 26)

उपरोक्त के मद्देनजर, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि शीर्षक वाली कंपनी में बड़ा हित शामिल है। ऊपर दिए गए अवलोकन से कंपनी अधिनियम 1956 की सांविधिक अपेक्षा का अनुपालन किए बिना एक बड़ी सुनियोजित, मिलीभगत वाली वित्तीय अनौचित्यता, वित्तीय और लेखा अनियमितताओं, विभिन्न योजनाओं की आड़ में खुदरा पूंजी बाजार का दोहन, विकास प्रभारों के प्रति अग्रिम राशि, शेयरों के निर्गम आदि की संभावना का संकेत मिलता है। सेबी के नियम और विनियम आदि जो सरकारी राजस्व (स्टाम्प ड्यूटी आदि) के संभावित नुकसान के अलावा हजारों छोटे जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कंपनी के मामलों का प्रबंधन उसके ऋणदाताओं, जमाकर्ताओं, अन्य हितधारकों के हितों के प्रतिकूल तथा सार्वजनिक हित के विरुद्ध किया जा रहा है।

इसलिए, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि मंत्रालय उक्त कंपनी के मामलों में अधिनियम की धारा 225 के तहत जांच पर विचार कर सकता है।

इसे आपके अवलोकनार्थ और आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

आपको धन्यवाद

आपका भवदीयता

(मनमोहन जुनेजा)

कंपनियों के रजिस्ट्रार

रा.रा.क्षे. दिल्ली और हरियाणा

संलग्न: उपरोक्तानुसार”

22. कंपनियों के समूह ने बाद के संसूचना का हिस्सा बनाया जिसे यहाँ उद्धृत किया गया है: -

“संख्या आर.ओ.सी./डी.ई.एल./आई.एन.वी./2018/

दिनांक: 23-10-2018

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक,
उत्तरी क्षेत्र,
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली।

**विषय: - अल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में प्रस्तुति -
के संबंध में।**

महोदय

मैं उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र संख्या सी.ओ.एम.पी./आर.ओ.सी./डी./2018/ अल्केमिस्ट ग्रुप/8427 दिनांकित 18-10-2018 तथा ई-मेल दिनांकित 22-10-2018 का संदर्भ देते हुए यह बताना चाहता हूँ कि इस कार्यालय को अल्केमिस्ट ग्रुप की कंपनियों के मामले में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन्हें अग्रेषित किया गया है। मुख्य रूप से मेसर्स अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, अलकैमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड तथा एलकैमिस्ट होल्डिंग लिमिटेड के मामले में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतों के मद्देनजर इस कार्यालय ने कुछ कंपनियों के निरीक्षण तथा उसके पश्चात सम्पूर्ण समूह की जांच की सिफारिश की है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस कार्यालय को अभी भी अल्केमिस्ट समूह की कंपनियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं या अग्रेषित की जा रही हैं। निर्देशानुसार, इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के संबंध में विस्तृत जांच की गई है और निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

1. अलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड

इस कार्यालय को कंपनी के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं। दिनांक 31-03-2017 तक तुलन पत्र के अनुसार, कंपनी ने अपने ग्राहकों से लगभग 1340 करोड़ रुपये एकत्र किए थे और 1270 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में दिए थे। ये ऋण और अग्रिम भूमि स्वामित्व वाली कंपनियों, सहयोगियों, संयुक्त उद्यम भागीदारों, भूमि की खरीद और भूमि के समेकन के लिए परियोजनाओं को दिए गए हैं। कंपनी के खिलाफ प्राप्त शिकायतों से यह देखा गया है कि कंपनी ने आवास योजना शुरू की और वर्ष 2013-14 और उसके बाद जनता से धन एकत्र किया, लेकिन अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही। कंपनी ने दीर्घवधि उधार के माध्यम से 50 करोड़ रुपये का धन भी एकत्र किया। कंपनी के मामले में एक विस्तृत तुलन पत्र तैयार किया है और उसे **अनुलग्नक-क** के रूप में परिशिष्ट किया है।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, यह कहा गया है कि कंपनी ने जनता से बहुत मात्रा में धन एकत्र किया था और *भूमि स्वामित्व वाली कंपनियों, सहयोगियों, सहउद्यम साझेदार और इसकी सहयोगी कंपनियों* को दे दिया था। यहां तक कि यह अपने देनदारों को दी गई राशि वसूलने में भी विफल रही। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210 के तहत न केवल इस कंपनी के मामले में बल्कि इसकी नियंत्रि कंपनी यानी अलकेमिस्ट इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड और अदर्श ग्रुप/ एसोसिएट्स कंपनी/लैंड ओविंग कंपनी जॉइंट वेंचर पार्टनर्स के मामले में भी जाँच की आवश्यकता है

2. अलकेमिस्ट लिमिटेड

दिनांक 31-03-2017 को दायर नवीनतम तुलन पत्र के माध्यम से देखने पर, यह पाया गया है कि कंपनी के पास 82 करोड़ रुपये का नकारात्मक शुद्ध मूल्य है, लेकिन इसने 735 करोड़ रुपये का दीर्घवधि उधार दिखाया था जिसका उपयोग मुख्य रूप से 171 करोड़ रुपये के गैर-चालू निवेश और 470 करोड़ रुपये के व्यापार प्राप्य करने योग्य में किया गया था (वर्ष 2016-17 के दौरान ऐसी प्राप्तियों से कोई वसूली नहीं हुई थी। कंपनी के मामले में एक

विस्तृत पत्र तैयार किया गया है और इसके साथ **अनुलग्नक-ख** रूप में परिशिष्ट है।

यह कंपनी अल्केमिस्ट ग्रुप की कंपनियों के बीच एक नलिका प्रतीत होती है। कंपनी ने अपनी संबंधित या सहयोगी कंपनियों के साथ भारी लेनदेन किया है। केवल इस कंपनी की जांच अथवा निरीक्षण से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसलिए यह प्रस्ताव रखा जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210 के अंतर्गत विस्तृत जांच न केवल इस कंपनी के मामले में बल्कि समूह/सहयोगी कंपनियों, जिनके साथ इस कंपनी ने लेन-देन किया था, के मामले में भी अपेक्षित है।

3. अल्केमिस्ट होल्डिंग लिमिटेड

इस कार्यालय पत्र दिनांकित 05-01-2015 के माध्यम से एक विस्तृत रिपोर्ट अल्केमिस्ट होल्डिंग लिमिटेड और उसके समूह/सहयोगी कंपनियों के मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 के तहत निदेशालय को जांच के लिए भेजी गई थी। कंपनी के नवीनतम दायर तुलन पत्र की जांच करने पर, यह पाया गया है कि कंपनी ने अधिमान शेयर जारी करके जनता से 268 करोड़ रुपये एकत्र किए थे और प्रतिदान पर भुगतान करने में विफल रही थी। कंपनी ने कंपनियों/सहायक कंपनियों/सहयोगियों को ब्याज मुक्त अप्रतिभूत ऋण के रूप में 223.20 करोड़ रुपये की राशि ऋण देकर धन का मुख्य रूप से उपयोग किया और सहयोगी कंपनियों में 51.01 करोड़ रुपये का निवेश किया। इस तथ्य का उल्लेख कानूनी संपरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में किया है। यह कंपनी द्वारा निधियों के गबन का एक उदाहरण है। कंपनी के मामले में एक विस्तृत पत्र तैयार किया गया है और इसके साथ **अनुलग्नक-ग** परिशिष्ट है उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210 के तहत एक विस्तृत जांच न केवल इस कंपनी के मामले में बल्कि समूह/सहयोगी कंपनियों के मामले में भी अपेक्षित है जिन्हें निधियों का अंतरण किया गया है।

4. अलकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड

इस कार्यालय को कंपनी के मामले में, विशेष रूप से जमाराशियों का भुगतान न किए जाने के संबंध में 140 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कार्यालय की सिफारिश पर दिनांकित 05-11-2012 को अपने पत्र संख्या 4/59/2012सी.एल.II के तहत कंपनी के मामलों की जांच का आदेश दिया, लेकिन कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (रि.या.(सि.) 8065/2012) दायर की और जो अभी तक लंबित है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(5) के तहत निरीक्षण के प्रस्ताव के साथ एक और रिपोर्ट भी इस निदेशालय को इस कार्यालय के पत्र दिनांकित 22-12-2015 के माध्यम से प्रस्तुत की गई और उसके बाद दिनांक 05-10-2016 और 09-10-2018 को अनुस्मारक भी भेजे गए थे।

5. अल्केमिस्ट रियल्टी लिमिटेड

कंपनी के 31-03-2017 को नवीनतम दायर तुलन पत्र की जांच करने पर, यह देखा गया है कि कंपनी ने शेयरों को जरी करके जनता से राशी को दिखाया है और बैंकों से (जिसका निवल मूल्य 24 करोड़ रुपये + दीर्घवर्धि उधार 305 करोड़ रुपये) से उधार, जिसे बाद में अग्रिम आदि के रूप में अंतरण किया गया था (सहायक कंपनियों सहित) और वसूल नहीं किया गया था, जहां तक नियम और शर्तों के अनुसार। व्यापार प्राख्य के मामले में कोई महत्वपूर्ण वसूली नहीं पाई गई है। यह निधियों का परिवर्तन का भी एक उदाहरण है, अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210 के अंतर्गत विस्तृत जांच न केवल इस कंपनी के मामले में बल्कि समूह/सहयोगी कंपनियों के मामले में भी अपेक्षित है। कंपनी के मामले में एक विस्तृत पत्र तैयार की गई है और इसके साथ अनुलग्नक-घ के रूप में परिशिष्ट है।

6. अल्केमिस्ट लाइफ साइंसेज लिमिटेड

दिनांक 31-03-2017 को तुलन पत्र की जांच करने पर, यह पाया गया है कि कंपनी ने संबंधित पक्षकारों से 51 करोड़ रुपये के लिए धन एकत्र किया है, जिसे अंततः नकारात्मक शुद्ध मूल्य के परिणामस्वरूप घाटे में परिवर्तित कर दिया गया था। यह कंपनी के धन के दुरुपयोग को दर्शाता है। इस मामले की जांच किए जाने की

आवश्यकता है। कंपनी के मामले में एक विस्तृत पत्र तैयार किया गया है और इसके साथ अनुलग्नक-ड के रूप में परिशिष्ट है।

7. नेटेज टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक 31-03-2018 को तुलन पत्र के माध्यम से देखने पर, यह देखा गया है कि कंपनी ने 44 करोड़ रुपये का दीर्घवर्धि उधार दिखाया था, जिसका उपयोग 26 करोड़ रुपये के गैर-चालू निवेश और 12.50 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम में किया गया था। कंपनी ने अपनी समूह कंपनियों जैसे अल्केमिस्ट लिमिटेड और अल्केमिस्ट कैपिटल लिमिटेड में प्रमुख निवेश किया था। अब, कंपनी अपने निवेश को साल-दर-साल अपलिखित कर रही है। यह धन के अन्यत्र उपयोग का एक उदाहरण है जिसकी समूह कंपनियों के साथ पूरी तरह से जांच किए जाने की आवश्यकता है। कंपनी के मामले में एक विस्तृत पत्र तैयार किया गया है और इसके साथ अनुलग्नक-च के रूप में परिशिष्ट है।

8. ऑष्टिमम कंस्ट्रक्टर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड

कंपनी आकार में एक छोटे आकार की कंपनी है और इसकी संपत्ति और देनदारियां 2.00 करोड़ रुपये से कम हैं लेकिन कंपनी में धन प्रमुख रूप से समूह/सहयोगी कंपनियों द्वारा निवेश किया गया है। कंपनी के मामले में एक विस्तृत पत्र तैयार किया गया है और इसके साथ अनुलग्नक-छ के रूप में संलग्न परिशिष्ट है।

अल्केमिस्ट ग्रुप की उपर्युक्त कंपनियां इस कार्यालय की अधिकारिता में पाई जाती हैं। इस कार्यालय की अधिकारिता में और अधिक कंपनियों के आने की संभावना है लेकिन यह पाया गया है कि उक्त समूह की पंजाब, चंडीगढ़ और पांडिचेरी में कंपनियां हैं।

संक्षेप में, यह देखा गया है कि अल्केमिस्ट ग्रुप की उपरोक्त कंपनियों ने निम्नलिखित धन एकत्र किए हैं और अंतरण किया है:

क्रम. सं.	कंपनी का नाम	धन संग्रह का तरीका	धनराशि (रु.) करोड़ में	धन के अंतरण के तरीके	धनराशि (रु.) करोड़ में।

1.	अलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड	ग्राहकों से अग्रिम	1340	भू-स्वामित्व वाली कंपनियों को दिए गए अग्रिम, सहयोगी, सहउद्यम भागीदारों	1270
		दीर्घावधि उधार	50		
2.	अलकेमिस्ट लिमिटेड	कुल मूल्य	82	गैर-चालू निवेश	171
		दीर्घावधि उधार	735	व्यापार प्राप्य योग्य	470
3.	कीमियागर होलिंग लिमिटेड	अधिमान शेयर जारी करने में असफल रहा	268	कंपनियों/सहायक कंपनियों/सहयोगियों को ऋण	223
		प्रतिदान		सहयोगियों की कंपनी में निवेश	51
4.	अलकेमिस्ट रियल्टी लिमिटेड	शुद्ध मूल्य	24	दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम अग्रिम	61
		दीर्घावधि उधार	305	व्यापार प्राप्य (पुराना)	152
5.	अलकेमिस्ट लाएफ़ साइंसेज लिमिटेड	संबंधित पक्षों से दीर्घावधि उधार लेना	51	नकारात्मक शुद्ध मूल्य	50
6.	नेटेजटेकोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	दीर्घावधि उधार	44	गैर-चालू निवेश	26
				ऋण और अग्रिम	12

नोट 1. अलकेमिस्ट इंप्रा रियल्टी लिमिटेड उपरोक्त सूची में शामिल नहीं है क्योंकि यह आदेश पहले ही मंत्रालय द्वारा जांच के लिए दिया जा चुका है।

2. उपरोक्त तालिका में आंकड़े कंपनियों के दायर अंतिम वित्तीय विवरणों से लिए गए हैं।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह उल्लेख किया जाता है कि एक या दो कंपनियों की जांच/निरीक्षण से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा क्योंकि इस समूह ने कई कंपनियों में राशी को परिवर्तन किया है अवसूलीय व्यापार प्राप्य योग्य में जिसकी वृहत स्तरीय जांच और छानबीन अपेक्षित है। इसलिए, धन संग्रह और अंतरण के आकार और अन्य आर.ओ.सी. की अधिकारीता के तहत कंपनियों की भागीदारी को देखते हुए, अल्केमिस्ट ग्रुप की सभी कंपनियों (अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड को छोड़कर, जिसमें जांच का आदेश पहले ही दिया जा चुका है) के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210 के तहत जांच प्रस्तावित है।

मामला सहृदयता से अवलोकनार्थ और आवश्यक अनुदेशों के लिए प्रस्तुत किया जाता है।”

23. श्री चौधरी, रिट याचिगण के लिए पेश होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता, ने जांच की शुरुआत का विरोध करते हुए सबसे पहले प्रतिविरोध किया कि चूंकि 1956 अधिनियम के प्रावधानों को केवल 13 जनवरी 2019 को निरस्त किया गया था, इसलिए प्रत्यर्थी केवल धारा 234 और 235 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई शुरू कर सकते थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि किसी भी मामले में मुकदमेबाजी के पहले दौर में दिए गए निर्णय और आदेशों ने अतिरिक्त रूप से प्रत्यर्थीगण को 2013 अधिनियम की धारा 212 के तहत कोई भी जांच शुरू करने से रोक दिया था। श्री चौधरी का यह कहना था कि जैसा कि आर.ओ.सी. की रिपोर्ट के साथ-साथ उस संबंध में ए.आई.आर.एल. से मांगे गए प्रकटीकरण से स्पष्ट होगा, समूह की सभी कंपनियों के खिलाफ जांच धारा 212 के लागू होने से पहले शुरू हो गई थी।

24. यहां रुककर नोट किया जा सकता है कि अधिनियम 2013 की धारा 212 दिनांक 26 मार्च 2014 की अधिसूचना के संदर्भ में 01 अप्रैल 2014 से प्रभावी हुई। श्री.चौधरी के अनुसार, चूंकि समूह की सभी कंपनियों की जांच धारा 212 के लागू होने से पहले शुरू की गई थी, इसलिए जांच केवल अधिनियम 1956 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही आगे

बढ़ाई जा सकती थी। श्री चौधरी के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से अधिनियम 2013 की धारा 212 की उप-धारा (16) में किए गए प्रावधानों से प्रवाहित होगा।

25. हमें मूल रिट याचिकाओं के साथ-साथ ले.पे.अ. में पारित आदेशों के माध्यम से हमें बताते हुए, श्री चौधरी द्वारा यह प्रतिविरोध किया गया था कि प्रत्यर्थी स्पष्ट रूप से उन कार्यवाही के दौरान पारित आदेशों से बाध्य थे कि वे केवल अधिनियम 1956 की धारा 234 और 235 के प्रावधानों का सहारा लें। इस प्रस्तुति को श्री चौधरी ने अपने प्रमुख विवाद को पूर्वाग्रह के बिना संबोधित किया था कि चूंकि अधिनियम 1956 30 जनवरी 2019 तक लागू रहा, जब धारा 465 लागू की गई और उक्त अधिनियमन के अंतिम निरसन का कारण बनी, प्रत्यर्थी अधिनियमन 2013 के अंतर्गत किसी भी जांच को शुरू करने के अधिकारिता से वंचित हैं।

26. एस.एफ.आई.ओ. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कीर्तिमान सिंह ने उपरोक्त प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए सबसे पहले हमारा ध्यान आर.ओ.सी. की दिनांकित 27 मार्च 2012 की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया, जिसमें कहा गया कि उस रिपोर्ट को सहज रूप से पढ़ने पर यह पता चलता है कि उस समय जांच केवल ए.आई.आर.एल. के खिलाफ शुरू की गई थी। श्री सिंह के अनुसार, यह स्थिति आर.ओ.सी. की दिनांकित 24 अगस्त 2012 की सिफारिश को पढ़ने से और पुष्ट होती है, जो भी "शीर्षक वाली कंपनी" अर्थात् ए.आई.आर.एल. तक ही सीमित थी।

27. श्री सिंह के अनुसार, उपरोक्त स्थिति उस अंतिम आदेश को पढ़ने से भी प्रकट होती है जिसे केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 05 नवंबर 2012 को तैयार किया था और जहां जांच विशेष रूप से ए.आई.आर.एल. तक ही सीमित थी। श्री सिंह के अनुसार, इसलिए याचीगण के लिए यह प्रतिवाद करना पूरी तरह से गलत होगा कि दिनांक 06 दिसंबर 2018 को कार्यवाही शुरू करने से पहले शुरू की गई जांच को समग्र रूप से अल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ एक उद्देश्य के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

28. श्री सिंह ने हमें दिनांक 06 दिसंबर 2018 के आदेश के माध्यम से भी विस्तार से बताया, जो उनके अनुसार, पहली बार था जब धारा 212 के संदर्भ में समूह की कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। श्री सिंह ने यह भी प्रस्तुत किया कि एस.एफ.आई.ओ. ने अंततः ए.आई.आर.एल. के पक्ष में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार करते हुए दिनांक 06 नवंबर 2019 को शुद्धि-पत्र जारी करके उस कंपनी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि शुद्धि-पत्र इस न्यायालय द्वारा सौंपे गए निर्णयों की पावती थी और जिसने एस.एफ.आई.ओ. को अधिनियम 1956 के अनुसार केवल जांच जारी रखने के लिए बाध्य किया था।

29. श्री सिंह ने आगे प्रस्तुत किया कि अधिनियम 1956 को 30 जनवरी 2019 को ही निरस्त हो गया था और धारा 465 के लागू होने के परिणामस्वरूप, एस.एफ.आई.ओ. को केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार, जिस क्षण अधिनियम 2013 की धारा 211 और 212 क़ानून का हिस्सा बनी जांच शुरू करने के लिए सशक्त है।

30. विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान विद्वान न्यायाधीश द्वारा अवमान याचिका को खारिज करते समय दिए गए निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ए.आई.आर.एल. के अलावा अन्य समूह की कंपनियां ले.पे.अ. में पारित निर्देशों से कोई लाभ नहीं उठा सकती हैं, जिसमें प्रत्यर्थागण को अधिनियम 1956 के अनुसार कोई अन्य कार्रवाई करने से रोका गया था। श्री सिंह के अनुसार, उपरोक्त निर्णय स्पष्ट रूप से याचिगण को बाध्य करता है और इसे निर्णायक रूप से अभिनिर्धारित के रूप में पढ़ा जाना चाहिए कि ए.आई.आर.एल. को छोड़कर अल्केमिस्ट समूह का हिस्सा बनने वाली कोई भी इकाई अधिनियम 1956 के अंतर्गत आने का दावा नहीं कर सकती है।

31. श्री सिंह ने तब प्रस्तुत किया कि याचिगण के स्वयं के स्वीकारोक्ति के अनुसार कुछ कंपनियों का गठन 2012 में जांच शुरू होने के बाद कुछ कंपनियों का निगमित करना किया गया। उन्होंने हमारा ध्यान एक तालिका की ओर आकर्षित किया जो याचिगण द्वारा स्वयं दायर लिखित प्रस्तुतियों का हिस्सा है, ताकि अपने प्रतिविरोध को पुष्ट किया जा सके

कि कम से कम वे कंपनियां केवल 1956 अधिनियम की धारा 235 के तहत जांच के लिए उत्तरदायी होने का दावा नहीं कर सकती हैं।

32. तालिका जो याचीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतियों का हिस्सा है, यहां नीचे उद्धृत की गई है: -

"क्रम.सं.	याचिकाकर्ता की कंपनी का नाम	निगमन की तिथि
1	अल्केमिस्ट हेल्थकेयर लिमिटेड	जनवरी 29, 2016
2	अल्केमिस्ट लाइफ साइंसेज लिमिटेड	अगस्त 14, 2002
3	अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड	जुलाई 04, 2006
4	अल्केमिस्ट लिमिटेड	05 जुलाई, 1988
5	अल्केमिस्ट होल्डिंग्स सीमित	दिसम्बर 22/1995
6	अल्केमिस्ट रियल्टी लिमिटेड	03 मार्च, 1983
7	नेटेज टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	जनवरी 29, 2016
8	अल्केमिस्ट कैपिटल लिमिटेड	दिसम्बर 13, 2000
9	अल्केमिस्ट होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड	मई 06, 2008

33. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर ध्यान देने के बाद, हम सबसे पहले कानूनी चुनौती पर विचार करने का प्रस्ताव करते जैसा श्री चौधरी द्वारा हमारे विचार के लिए मांग की गई है, और जो अधिनियम 2013 के कुछ प्रावधानों के लागू होने और धारा 465 के लागू होने पर आधारित है। अधिनियम 2013 की धारा 1(3) में यह प्रावधान है कि उक्त धारा और अधिनियम 2013 के शेष प्रावधान ऐसी तिथियों पर लागू होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके निर्धारित करेगी। धारा 1(3) ने केंद्र सरकार को अतिरिक्त रूप से अलग-अलग तिथियां

निर्धारित करने के लिए सशक्त बनाया, जब से अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधान लागू हो सकें।

34. निस्सन्देह, धारा 211 और 212 को दिनांक 01 अप्रैल 2014 से एक अधिसूचना के परिणामस्वरूप लागू किया गया था जो दिनांक 26 मार्च 2014 को प्रकाशित हुई थी। धारा 465 और जिसने अधिनियम 1956 को निरसन करने पर विचार किया था, हालांकि, उसी तारीख की अधिसूचना के प्रख्यापन के परिणामस्वरूप केवल दिनांक 30 जनवरी 2019 को लागू किया गया। यह उपरोक्त संदर्भ में था कि श्री चौधरी ने तर्क दिया था कि दिनांक 30 जनवरी 2019 तक, अधिनियम 1956 के तहत जांच के संबंध में प्रावधान लागू रहे और इस प्रकार प्रत्यर्थागण को अधिनियम 2013 की धारा 212 के तहत किसी भी कार्रवाई को करने से वंचित कर दिया। हम निम्नलिखित कारणों से उस प्रस्तुतिकरण को बनाए रखने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं।

35. यह ध्यान देने योग्य हो जाता है कि पूर्ववर्ती क़ानून में मौजूद धारा 234 और 235, अनिवार्य रूप से कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए आर.ओ.सी. और केन्द्रीय सरकार की शक्तियों से संबंधित हैं। धारा 234 और 235 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

“ 234. रजिस्ट्रार की जानकारी या स्पष्टीकरण मांगने की शक्ति.--(1)

जहां, किसी भी दस्तावेज़ के अवलोकन पर, जिसे कंपनी को इस अधिनियम के तहत उसे प्रस्तुत करना आवश्यक है, रजिस्ट्रार की राय है कि कोई भी जानकारी या स्पष्टीकरण आवश्यक है [ऐसे किसी भी मामले के संबंध में जिसमें ऐसा दस्तावेज़ हो] वह, एक लिखित आदेश, दस्तावेज़ जमा करने वाली कंपनी से ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहें, जितने समय के भीतर वह आदेश में निर्दिष्ट कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत कंपनी द्वारा आदेश प्राप्त होने पर, यह कंपनी का और उन सभी व्यक्तियों का, जो कंपनी के अधिकारी हैं, कर्तव्य होगा कि वे अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

(3) उप-धारा (1) के तहत आदेश की एक प्रति प्राप्त होने पर, यह प्रत्येक व्यक्ति का भी कर्तव्य होगा जो कंपनी का अधिकारी रहा है कि वह अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।

[(3-क) यदि निर्दिष्ट समय के भीतर कोई जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या यदि दी गई जानकारी या स्पष्टीकरण, रजिस्ट्रार की राय में, अपर्याप्त है, तो रजिस्ट्रार एक अन्य लिखित आदेश द्वारा कंपनी को अपने निरीक्षण के लिए ऐसी पुस्तकों को उसके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। और कागजात, जो वह आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक समझता है; और यह कंपनी का और उन सभी व्यक्तियों का, जो कंपनी के अधिकारी हैं, ऐसी पुस्तकों और कागजात को प्रस्तुत करने का कर्तव्य होगा।]

(4) यदि कंपनी, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (2) या (3) में संदर्भित किया गया है, ऐसी किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है [या यदि कंपनी या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे उप-धारा (3-क) में संदर्भित किया गया है, ऐसी किसी भी पुस्तकों और कागजात को प्रस्तुत करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है],-

[क) कंपनी और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जुर्माने से दंडनीय होंगे जो पांच [हजार] रुपये तक का हो सकता है और एक निरंतर अपराध के मामले में, एक अतिरिक्त जुर्माना के साथ जो पहले के बाद हर दिन के लिए [पांच सौ रुपये] तक बढ़ सकता है जिसके दौरान अपराध जारी रहता है; तथा

(ख) अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, रजिस्ट्रार के आवेदन पर और कंपनी को नोटिस देने के बाद, ऐसी पुस्तकों और कागजातों को रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करने के लिए कंपनी पर एक आदेश दे सकता है, जो न्यायालय की राय में, रजिस्ट्रार द्वारा उप-धारा(1) में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उचित रूप से अपेक्षित हो।

[(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना या स्पष्टीकरण से युक्त किसी लेख की प्राप्ति पर, अथवा उपधारा (3-क) के अधीन रजिस्ट्रार के आदेश के अनुसरण में अथवा उपधारा(4) के अधीन न्यायालय के आदेश के अनुसरण में प्रस्तुत किसी पुस्तक या पत्र की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार उस लेख, पुस्तक या पत्र को अथवा जहां कंपनी द्वारा उस पुस्तक या पत्र की

अपेक्षा की जाती है, उसकी किसी प्रतिलिपि या उद्धरण को उपधारा(1) में निर्दिष्ट दस्तावेज के साथ संलग्न कर सकेगा; और इस प्रकार संलग्न कोई लेख, कोई पुस्तक या पत्र अथवा उसकी प्रतिलिपि या उद्धरण निरीक्षण, उद्धरण लेने और प्रतियां देने के संबंध में उसी प्रकार के उपबंधों के अधीन होगा, जैसे वह दस्तावेज है।

[(6) यदि ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है या यदि ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण के अवलोकन के बाद या प्रस्तुत पुस्तकों और पत्रों के पश्चात् चाहे उपधारा (3-क) के अधीन रजिस्ट्रार के आदेश के अनुसरण में या उपधारा (4) के अधीन न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में, तो निबन्धक की यह राय है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज, ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण या ऐसी पुस्तकों और कागजात के साथ एक असंतोषजनक स्थिति या मामलों का खुलासा करता है या किसी भी मामले जिससे दस्तावेज संबंधित है, का पूर्ण और निष्पक्ष विवरण प्रकट नहीं करता है, रजिस्ट्रार केन्द्रीय सरकार को मामले की परिस्थितियों को लिखित रूप में रिपोर्ट करेगा।

(7) यदि रजिस्ट्रार को किसी अंशदाता या लेनदार या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी कंपनी का कारोबार उसके लेनदारों या कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी करके या अन्यथा किसी कपटपूर्ण या गैरकानूनी उद्देश्य से चलाया जा रहा है, तो वह कंपनी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा कंपनी को आदेश में विनिर्दिष्ट विषयों पर कोई सूचना या स्पष्टीकरण लिखित रूप में, ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, जैसा कि वह उसमें विनिर्दिष्ट करे; और इस धारा की उपधारा (2), (3), 767 (3-क), (4) और (6) के उपबंध ऐसे आदेश पर लागू होंगे।

यदि पूछताछ करने पर रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है कि कोई भी अभ्यावेदन जिस पर उसने इस उप-धारा के तहत कार्रवाई की थी, वह तुच्छ या कष्टप्रद था, तो वह कंपनी को अपने सूचक की पहचान का खुलासा करेगा।

(8) इस धारा के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित उन दस्तावेजों पर लागू होंगे जिन्हें एक समापक, या धारा 591 के अर्थ के तहत एक विदेशी कंपनी को इस अधिनियम के तहत दाखिल करना आवश्यक है।

“235. किसी कंपनी के मामले की जाँच (1) केन्द्रीय सरकार, जहाँ धारा 234 की उपधारा (6) के अधीन या उसकी उपधारा (6) के साथ पठित उस धारा की उपधारा (7) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा कोई रिपोर्ट की गई है, वहाँ किसी कंपनी के कार्यों की जाँच करने के लिये निरीक्षक के रूप में एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी और उस पर ऐसी रीति से प्रतिवेदन दे सकेगी जो केन्द्रीय सरकार निदेश दे।

(2) जहाँ-

(क) शेयर पूंजी वाली कंपनी के मामले में, कम से कम दो सौ सदस्यों से या कुल मतदान शक्ति के कम से कम दसवें हिस्से वाले सदस्यों से आवेदन प्राप्त हुआ है, और

(ख) किसी ऐसी कंपनी के मामले में, जिसके पास शेयर पूंजी नहीं है, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल व्यक्तियों के कम से कम पांचवें हिस्से से आवेदन प्राप्त हुआ है, तो [अधिकरण] पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद आदेश द्वारा घोषित कर सकता है कि कंपनी के मामलों की जांच एक निरीक्षक या निरीक्षकों द्वारा की जानी चाहिए, और ऐसी घोषणा किए जाने पर, केन्द्रीय सरकार कंपनी के मामलों की जांच करने और उस पर ऐसी रीति से रिपोर्ट करने के लिए एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों को निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करेगी, जैसा कि केन्द्रीय सरकार निर्देश दे सकती है।”

36. किसी कंपनी के मामलों की जांच का निदेश देने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियां कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा धारा 234(6) के तहत यथा विचारित शर्तों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रतिपादित की गई थीं। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार को कंपनी के मामलों की जांच शुरू करने और उसके संबंध में निरीक्षकों को नियुक्त करने के लिए सशक्त थी। दूसरी ओर, अधिनियम 2013 की धारा 212 के तहत जांच केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं बल्कि एस.एफ.आई.ओ. द्वारा की जाती है। यह नोट करने के लिए प्रासंगिक हो जाता है कि एस.एफ.आई.ओ. का गठन स्वयं धारा 211 में निहित प्रावधानों के अनुसार

किया गया था। वास्तव में, उक्त प्रावधान को आरोपित करने और लागू करने से पहले ही, एस.एफ.आई.ओ. का गठन केन्द्रीय सरकार के दिनांक 02 जुलाई 2003 के संकल्प के अनुसरण में किया गया प्रतीत होता है। धारा 211 यहां उद्धृत की गई है:-

“211. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय की स्थापना.- (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी कंपनी से संबंधित धोखाधड़ियों का अन्वेषण करने के लिये गम्भीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय कहलाने के लिये एक कार्यालय स्थापित करेगी:

इस शर्त के साथ कि जब तक उपधारा (1) के अंतर्गत गंभीर कपट जांच कार्यालय स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक भारत सरकार के संकल्प सं. 45011/16/2003-प्रशासन-1, दिनांक 2 जुलाई, 2003 के निबंधनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को इस धारा के प्रयोजनों के लिए गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय समझा जाएगा।

(2) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय का प्रमुख एक निदेशक होगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले ऐसे व्यक्तियों में से निम्नलिखित क्षेत्रों के विशेषज्ञों की ऐसी संख्याओं से मिलकर बनेगा, जो निम्नलिखित क्षेत्र में योग्यता, सत्यनिष्ठा और अनुभव रखते हो,-

- (i) बैंककारी;
- (ii) कॉर्पोरेट मामले/कार्य;
- (iii) कराधन;
- (iv) न्यायालिक संपरीक्षा;
- (v) पूंजी बाजार;
- (vi) सूचना प्रौद्योगिकी;
- (vii) विधि; या
- (viii) ऐसे अन्य क्षेत्र जो विहित किए जाएं।

(3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय में अधिसूचना द्वारा, कॉर्पोरेट कार्य से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव रखने वाले ऐसे निदेशक की नियुक्ति करेगी, जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव से नीचे की पंक्ति का अधिकारी नहीं होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय में ऐसे विशेषज्ञों और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(5) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय के निदेशक, विशेषज्ञों और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के निबंधन सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो की विहित जाएं।”

37. जैसा कि धारा 211 और 212 के संयुक्त पठन से प्रकट होता है, जांच की शक्ति जो मूल रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की गई थी, अंततः और धारा 211 और 212 के संदर्भ में एस.एफ.आई.ओ. के हाथों में दी गई थी। एस.एफ.आई.ओ. की परिकल्पना कंपनियों के कार्यों की जांच करने के प्रयोजनार्थ विधिवत रूप से गठित निकाय के रूप में की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जबकि पूर्ववर्ती प्रावधानों ने केन्द्रीय को जांचकर्ताओं के माध्यम से एक कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए सशक्त किया था, नए शासन ने एस.एफ.आई.ओ. के गठन और अधिनियम 2013 की धारा 212 और 213 के अनुसार इसके द्वारा की जा रही जांच को देखा। इस प्रकार न्यायालय इस प्रस्तुति को बनाए रखने में स्वयं को असमर्थ पाता है कि अधिनियम 2013 की धारा 213 के तहत एस.एफ.आई.ओ. द्वारा शुरू की गई जांच अधिनियम 1956 की धारा 234 और 235 द्वारा प्रभावहीन हो जाएगी। वास्तव में और जैसा कि ऊपर उल्लेखल किया गया है, अधिनियम 1956 के तहत केन्द्रीय की जांच शाखा के रूप में एस.एफ.आई.ओ. की परिकल्पना या विचार भी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार धारा 234 और 235 को उनके अंतिम निरसन तक जारी रखना केवल जांचकर्ताओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार की जांच शक्ति को विनियमित करने के रूप में देखा जाएगा।

38. न्यायालय ने नोट किया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच शुरू करने की शक्ति जो अन्यथा आर.ओ.सी. से रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्भर थी, को भी व्यापक बनाया गया था, जैसा कि धारा 212 के पढ़ने से स्पष्ट होगा जो यहां नीचे उद्धृत किया गया है: -

“212. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा कंपनी के कार्यों का जाँच - (1) धारा 210 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा कंपनी के मामलों की जांच करना आवश्यक है वहाँ-

(क) धारा 208 के तहत रजिस्ट्रार या निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर;

(ख) किसी कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प की संसूचना पर कि कंपनी के क्रियाकलापों की जांच किया जाना अपेक्षित है;

(ग) लोकहित में; या

(घ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग के अनुरोध पर, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, उक्त कंपनी के कार्यों की जांच का कार्य गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को सौंप सकती है और इसका निदेशक ऐसी संख्या निरीक्षकों को नियुक्त कर सकेगा जो वह ऐसी जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।

(2) जहां कोई मामला केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन जाँच के लिए गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को सौंपा गया है वहां केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की कोई अन्य जाँच अभिकरण इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में ऐसे मामले में जाँच नहीं करेगा और यदि ऐसी कोई जांच पहले ही शुरू की जा चुकी है, इस पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी और संबंधित अभिकरण इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराधों के संबंध में सुसंगत दस्तावेजों और अभिलेखों को गंभीर कपट जांच कार्यालय को अंतरित करेगा।

(3) जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी के मामलों की जांच गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को सौंपा गया है वहाँ यह जाँच ऐसी रीति में करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो इस अध्याय में उपबंधित है; और ऐसी अवधि में जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

(4) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय का निदेशक, जाँच अधिकारी द्वारा कंपनी के मामलों की जांच करवाएगा जिसके पास धारा 217 के अधीन निरीक्षक की शक्ति होगी।

(5) कंपनी और उसके अधिकारी और कर्मचारी, जो कंपनी के नियोजन में हैं या रहे हैं, जांच अधिकारी को सभी जानकारी, स्पष्टीकरण, दस्तावेज और सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे जो उसे जाँच के संचालन के लिए अपेक्षित हों हैं।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 327 [धारा 447 के अधीन आने वाला अपराध] संज्ञेय होगा और उन धाराओं के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक-

(i) ऐसी किसी भी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने के लिए लोक अभियोजक को अवसर दिया गया हो; और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहाँ न्यायालय का यह समाधान हो गया की यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार हैं की वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत में रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किये जाने की संभावना नहीं हैं:

परन्तु कोई व्यक्ति, जो सोलह वर्ष की आयु से कम है या कोई महिला है या रुग्ण और दुर्बल है, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकेगा यदि विशेष न्यायालय ऐसा निर्देश देता है:

इसके बावजूद कि विशेष न्यायालय इस उपधारा को निर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा लिखित में की गई शिकायत के सिवाय नहीं लेगा-

(i) निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय; या

(ii) लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी।

(7) उप-धारा (6) में निर्दिष्ट जमानत की स्वीकृति पर परिसीमा, जमानत मंजूर करने पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या जमानत देने पर या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अधीन परिसीमाओं के अतिरिक्त होगी।

(8) [यदि कोई अधिकारी सहायक निदेशक के पद से नीचे का न हो] सामान्य या विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत

गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय का निदेशक, अपर निदेशक या सहायक निर्देशक, अपने कब्जे में सामग्री के आधार पर विश्वास करने का कारण है (इस तरह के विश्वास का कारण लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएं) रखता है की कि कोई भी व्यक्ति उप-धारा(6) में निर्दिष्ट धाराओं के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का दोषी रहा है, तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और यथाशीघ्र, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों के संबंध में सूचित करेगा।

(9) [उप-धारा(8) के तहत अधिकृत अधिकारी, इस तरह के उप-धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद], आदेश की एक प्रति, अपने कब्जे में सामग्री के साथ, उस उप-धारा में निर्दिष्ट, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को एक मुहरबंद लिफाफे में, ऐसी रीति से अग्रेषित करेंगे जो की विहित किया और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय ऐसे आदेश और सामग्री को ऐसी अवधि के लिए रखेगा जो जो की विहित की जाए सके।

(10) उप-धारा (8) के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर, 330 [विशेष न्यायालय या न्यायिक दंडाधिकारी] या महानगर दंडाधिकारी, जैसा भी मामला हो, अधिकारिता रखने वाले के समक्ष लाया जाएगा:

परन्तु गिरफ्तारी के स्थान से 331 [विशेष न्यायालय या दंडाधिकारी की न्यायालय] तक यात्रा के लिए आवश्यक समय चौबीस घंटों की अवधि से अपवर्जित रहेगा।

(11) केन्द्रीय सरकार, यदि ऐसा निदेश देती है, तो गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, केन्द्रीय सरकार को एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(12) जांच पूरी होने पर, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय केन्द्रीय सरकार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(13) इस अधिनियम या इस समय प्रचलित किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी, जाँच रिपोर्ट की एक प्रति इस संबंध में न्यायालय को आवेदन करके किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

(14) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केन्द्र सरकार, रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात(और ऐसी कानूनी सलाह लेने के पश्चात, जो वह उचित समझे), कंपनी और इसके अधिकारी और कर्मचारी, जो कंपनी के नियोजन में है या रहे है या कोई अन्य व्यक्ति जो कंपनी के कार्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े है के विरुद्ध अभियोजन आरम्भ करने के लिए गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को निदेश दे सकेगी।

[(14-क) जहां उप-धारा(11) या उप-धारा(12) के तहत रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी कंपनी में धोखाधड़ी हुई है और इस तरह की धोखाधड़ी के कारण किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, कंपनी के अन्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था ने अनुचित लाभ या लाभ लिया है, चाहे वह किसी संपत्ति, संपत्ति या नकदी के रूप में या किसी अन्य तरीके से हो, केन्द्रीय सरकार ऐसी परिसंपत्ति, संपत्ति या नकदी के विघटन के संबंध में और ऐसे निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, अन्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को दायित्व की किसी सीमा के बिना व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराने के संबंध में उचित आदेशों के लिए प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दायर कर सकती है।

(15) इस अधिनियम या इस समय प्रचलित किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी, आरोप की विरचना के लिए विशेष न्यायालय में दायर की गई अन्वेषण रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दायर की गई रिपोर्ट समझी जाएगी।

(16) इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा कोई जाँच या की गई अन्य कार्रवाई या आरंभ की गई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन अग्रसर होने के लिए इस प्रकार जारी रहेगी मनो यह अधिनियम पारित न हुआ हो।

(17)(क) यदि इस अधिनियम के अधीन गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय किसी अपराध की जाँच कर चुका है तो ऐसे अपराध के संबंध में सूचना या दस्तावेज रखने वाला कोई अन्य जाँच अभिकरण, राज्य सरकार पुलिस प्राधिकारी, आय-कर प्राधिकारी गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को ऐसी उपलब्ध सूचना या दस्तावेज प्रदान करेंगे;

(ख) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय किसी जाँच अभिकरण, राज्य सरकार, पुलिस प्राधिकरी या आय-कर प्राधिकारियों के पास अपने पास उपलब्ध किसी भी सूचना या दस्तावेजों को साझा कर सकेंगे जो ऐसे जाँच अभिकरण, राज्य सरकार, पुलिस प्राधिकरी या आय-कर प्राधिकरी के लिए किसी अन्य कानून के अधीन किसी अपराध या मामले की संबंध में की जा रही अन्वेषण या जाँच के लिए सुसंगत या उपयोगी हो।”

39. जैसा कि उक्त प्रावधानों को पढ़ने से स्पष्ट होगा, अधिनियम 2013 के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार को अब रजिस्ट्रार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर या कंपनी द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव की सूचना देने पर या जनहित में कंपनी के मामलों की जांच शुरू करने के लिए सशक्त है। एस.एफ.आई.ओ. एक स्वतंत्र निकाय है जिसे कंपनियों से संबंधित धोखाधड़ियों की जांच के प्रयोजनार्थ स्थापित किया गया है। एस.एफ.आई.ओ. को एक स्वतंत्र जांच शाखा के रूप में अधिनियम 1956 की धारा 234 या 235 के तहत भी आपेक्षित नहीं माना गया था। जैसा कि उन प्रावधानों को पढ़ने से स्पष्ट है, धारा 235 में सन्निहित जांच करने की शक्ति केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जा सकती थी, हालांकि निरीक्षकों के माध्यम से कार्य किया गया हो जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया हो। इसलिए इस दलील को स्वीकार करना पूर्ण रूप से गलत होगा कि एस.एफ.आई.ओ. द्वारा अधिनियम की धारा 212 या 213 के तहत जांच दिनांक 30 जनवरी 2019 से पूर्व शुरू नहीं हो सकती थी। चूंकि एस.एफ.आई.ओ. का गठन केवल धारा 211 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था, इसलिए उस निकाय द्वारा की गई जांच किसी भी तरह से अधिनियम 1956 की धारा 234 और 235 के निरंतर अस्तित्व से प्रभावित या निष्क्रिय नहीं की गई थी।

40. इसके बाद न्यायालय को श्री चौधरी की इस प्रस्तुति का मूल्यांकन करना होगा कि धारा 212 के लागू होने से पहले जो जांच शुरू हुई थी, समूह की सभी कंपनियों को शामिल करने के लिए उत्तरदायी थी। हम निम्नलिखित कारणों से इस प्रस्तुति को भी कायम रखने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं।

41. दिनांक 24 अगस्त 2012 और साथ ही साथ दिनांक 05 नवंबर 2012 की रिपोर्ट को बारीकी से पढ़ने से हम इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जांच ए.आई.आर.एल. तक ही सीमित थी। यह आर.ओ.सी. की रिपोर्टों में स्पष्ट उल्लेख से प्रकट होने के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच शुरू करने के लिए पारित किए गए अंतिम आदेश से स्पष्ट है। उपर्युक्त संसूचनाओं और रिपोर्टों को समग्र रूप से पढ़ने से हमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि जांच केवल ए.आई.आर.एल. तक ही सीमित थी। हम नोट कर सकते हैं कि समूह कंपनियों या कार्यालयों द्वारा की गई कुछ गतिविधियों का एक मात्र संदर्भ जो संबंधित संस्थाओं में कुछ निदेशकों के पास है, हमें यह मानने के लिए आश्वस्त नहीं करता है कि जांच को समूह संस्थाओं तक भी विस्तारित समझा जा सकता है। चूंकि अधिनियम 1956 की धारा 235 के तहत जांच की शुरुआत को सख्ती से समझा जाना है, इसलिए हम स्वयं को आर.ओ.सी. की रिपोर्टों पढ़ने में असमर्थ पाते हैं, क्योंकि यह अल्केमिस्ट समूह का हिस्सा बनने वाली सभी संस्थाओं के खिलाफ जांच शुरू करने या बीड़ा उठाने के इरादे का संकेत है।

42. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, की दिनांक 05 नवंबर 2012 को केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किया गया अंतिम आदेश भी “शीषर्क कंपनी” तक ही सीमित था। उक्त आदेश में केवल ए.आई.आर.एल. के मामलों की जांच के लिए आर.ओ.सी. द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिश को स्वीकार किया गया था।

43. यह भी ध्यान देने योग्य हो जाता है कि अधिनियम 1956 की धारा 239 के संदर्भ में, धारा 235 या 237 के तहत नियुक्त एक निरीक्षक संबंधित कंपनियों की भी जांच का विस्तार करने के लिए सशक्त था। हालांकि, उपरोक्त कार्य निरीक्षक द्वारा संघ सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के अधीन था। धारा 239 इस प्रकार है:-

“239. संबंधित कंपनियों या प्रबंध अभिकर्ता या सहयुक्त आदि के मामलों की जांच करने के लिए निरीक्षकों की शक्ति।-(1) यदि किसी कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए धारा 235 या 237 के तहत

नियुक्त निरीक्षक अपनी जांच के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित के मामलों की भी जांच करना आवश्यक समझता है-

(क) कोई अन्य निकाय कॉर्पोरेट जो किसी भी प्रासंगिक समय में कंपनी की सहायक कंपनी, या उसकी नियंत्री कंपनी की सहायक कंपनी, या उसकी सहायक कंपनी की नियंत्री कंपनी है;

(ख) कोई अन्य निकाय कॉर्पोरेट जो किसी भी प्रासंगिक समय पर किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रबंध निदेशक या प्रबंधक के रूप में प्रबंधित किया गया है, जो प्रासंगिक समय पर, प्रबंध निदेशक या कंपनी का प्रबंधक है, या

(ग) कोई अन्य निकाय कॉर्पोरेट जो किसी भी प्रासंगिक समय पर कंपनी द्वारा प्रबंधित किया गया है या जिसके निदेशक मंडल में कंपनी के नामांकित व्यक्ति शामिल हैं या निर्देशों या हिदायतों के अनुसार कार्य करने के अभ्यस्त हैं-

(i) कंपनी, या

(ii) कंपनी के निदेशकों में से कोई भी, या

(iii) कोई भी कंपनी जिसका निर्देशन कर्मचारियों या उन लोगों के नामांकित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनके पास पहले शीर्षक कंपनी का नियंत्रण और प्रबंधन है; तो

[(घ) कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रासंगिक समय पर कंपनी का प्रबंध निदेशक या प्रबंधक रहा हो,]

[निरीक्षक को उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसा करने की शक्ति होगी और वह अन्य निगमित निकाय या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक के मामलों पर रिपोर्ट देगा, जहां तक वह समझता है कि उसकी जांच के परिणाम प्रथम शीर्षक कंपनी के मामलों की जांच के लिए प्रासंगिक हैं।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) (ii), (ख) (iii), (ग) या (घ) में निर्दिष्ट किसी निगमित निकाय या व्यक्ति के मामले में, निरीक्षक केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना उसके मामलों की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने की अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार निगमित निकाय या व्यक्ति को कारण बताओ युक्तियुक्त अवसर देगी कि ऐसा अनुमोदन क्यों न दिया जाए।]”

44. हालांकि, और निर्विवाद रूप से ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया था और न ही केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी निरीक्षक द्वारा किसी भी संबंधित कंपनियों को जांच का विस्तार करने का निर्णय लिया गया था।

45. न्यायालय भी श्री चौधरी की प्रस्तुतियों का समर्थन करने में स्वंग को असमर्थ पाता है जो मुकदमेबाजी के पिछले दौर में दिए गए निर्णयों और आदेशों पर हितबद्ध थे, जिसे समूह की कंपनियों के विस्तार के रूप में पढ़ा जा सकता है।

46. हम ध्यान दें कि रि.या.(सि.) 7529/2012 और रि.या. (सि.) 8065/2012 में एकमात्र याचिकाकर्ता ए.आई.आर.एल. था और इसलिए न्यायालय द्वारा अंततः विरचित किए गए निर्देशों को संभवतः समूह कंपनियों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में किसी भी मामले में जो भी संदेह हो सकते हैं, वह अवमान याचिका पर दिए गए निर्णय के प्रकाश में समाप्त हो गए हैं। उस याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने नोट किया कि केवल इसलिए कि उन कंपनियों को प्रपत्र प्रत्यर्थी के रूप में रखा गया हो सकता है, इसे अधिनियम 1956 के तहत जांच शुरू करने के लिए उन संस्थाओं द्वारा दी गई चुनौती के रूप में नहीं माना जा सकता है।

47. इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्तुतियां तब और भी अधिक असमर्थनीयता हो जाती है जब कोई इस स्पष्ट तथ्य को ध्यान में रखता है कि समूह की कंपनियों के खिलाफ जांच केवल दिनांक 06 दिसंबर 2018 के आदेश जारी होने के पश्चात ही शुरू हुई थी और परिणामिक आदेश एस.एफ.आई.ओ. द्वारा दिनांक 14 दिसंबर 2018 को दिया जाना था।

48. यह दिनांक 06 दिसंबर 2018 का आदेश है जिसमें पहली बार अल्केमिस्ट की सभी समूह कंपनियों को सम्मिलित करने के लिए जांच का विस्तार किया गया है। यह

और अतिरिक्त मजबूत हो जाएगा जब हम दिनांक 25 अक्टूबर 2018 की रिपोर्ट पर ध्यान देंगे और जिसमें ए.आई.आर.एल. के साथ काम करते समय विशेष रूप से 2012 की रि.या (सि.) 8065 की लंबितता पर ध्यान दिया गया था, जिसमें लंबित जांच को स्वीकार किया गया था जो 05 नवंबर 2012 को उस इकाई के खिलाफ खोली गई थी और परिणामस्वरूप उक्त कंपनी को उस जांच की परिधि से बाहर रखा गया था।

49. एस.एफ.आई.ओ. द्वारा पारित दिनांक 14 दिसंबर 2018 के आदेश के अनुसार शुरू की गई जांच को बाद में दिनांक 06 नवंबर 2019 के शुद्धि-पत्र के संदर्भ में संशोधित किया गया था, जब ए.आई.आर.एल. को उस जांच से हटा दिया गया था। इसलिए जो स्थिति उभरती है वह यह है कि धारा 235 के तहत परिकल्पित जांच केवल ए.आई.आर.एल. के खिलाफ शुरू हुई थी और यह अकेले उक्त जांच है जो धारा 212 (16) के संदर्भ में जैसा निर्मित है सुरक्षित आश्रय के अन्दर आएगी।

50. चूंकि दिनांक 05 नवंबर 2012 को शुरू हुई जांच को संभवतः अन्य रिट याचीगण तक विस्तारित करने के रूप में स्वीकार नहीं माना जा सकता है, इसलिए हम प्रस्तुत चुनौती को बनाए रखने में खुद को असमर्थ पाते हैं।

51. तदनुसार, और उपरोक्त सभी कारणों से, तत्काल रिट याचिका खारिज की जाती है।

52. सभी लंबित आवेदनों का तदनुसार निपटारा किया जाएगा।

न्या. श्री यशवंत वर्मा

दिसंबर 06, 2023/ नेहा

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।